

बी०टी०सी० द्वितीय सेमेस्टर

सामान्य विषय –Edu 04

प्रारम्भिक शिक्षा के नवीन प्रयास



राज्य शिक्षा संस्थान, उ०प्र०,
इलाहाबाद

बी०टी०शी० द्वितीय सेमेश्टर

- मुख्य संरक्षक** : श्री एच०एल०गुप्ता, आई.ए.एस., सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन, लखनऊ
- संरक्षक** : सुश्री कुमुदलता श्रीवास्तव, आई.ए.एस. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, लखनऊ
- निर्देशन** : श्री सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०
- समन्वयन** : श्री दिव्यकान्त शुक्ल, प्राचार्य, राज्य शिक्षा संस्थान, उ०प्र०, इलाहाबाद
- परामर्श** : श्री अजय कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, (एस०एस०ए०) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ

- लेखक** : श्रीमती सुषमा यादव, श्रीमती नीलम मिश्रा, श्रीमती मंजुलेश विश्वकर्मा, डॉ० संध्या सिंह, श्रीमती उषा अग्रवाल, श्रीमती निहारिका कुमार, श्रीमती दीपा मिश्रा, श्रीमती अंशिका यादव, श्री केशव कुमार, श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्रीमती अस्मत् नीलो अन्सारी, श्रीमती शाबाना परवीन, श्रीमती अनिल कुमारी शुक्ला, सुमिता, श्रीमती अरुणा, श्रीमती दीपिका यादव, श्रीमती सुनीता उपाध्याय, श्रीमती जया शुक्ला, श्री अशोक कुमार।

- कम्प्यूटर कम्पोजिंग** : राजेश कुमार यादव

प्रारम्भिक शिक्षा के नवीन प्रयास

कक्षा शिक्षण : विषयवस्तु

1. प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएँ –

- ❖ संविधान के अनुच्छेद 21(ए), 29 (2) एवं 45 के अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी संस्तुतियाँ।
- ❖ बच्चों के अधिकार (बाल अधिकार)।
- ❖ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-09 (आर0टी0ई0-2009)।

2. प्रारम्भिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियाँ

- ❖ स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात की संक्षिप्त जानकारी।
- ❖ लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति, वुड का घोषणापत्र, हण्टर आयोग, ऑकलैण्ड एवं कर्जन का योगदान।
- ❖ कोठारी आयोग।
- ❖ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992।
- ❖ यशपाल समिति।
- ❖ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 (एन0सी0एफ0 2005)।
- ❖ शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 (एन.सी.एफ.टी.ई. 2009)।

प्रारम्भिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं (उ0प्र0) के सन्दर्भ में

- ❖ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना (ओ0बी0)।
- ❖ सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम (पी-मोस्ट)।
- ❖ प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम (एस0ओ0पी0टी0)।
- ❖ बेसिक शिक्षा परियोजना, (बी0ई0पी0)।
- ❖ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (द्वितीय एवं तृतीय) (डी0पी0ई0पी0)।
- ❖ विद्यालय शिक्षा की तैयारी (स्कूल रेडीनेस) कार्यक्रम।

- ❖ सम्पूर्ण साक्षरता अभियान ।
- ❖ सर्व शिक्षा अभियान ।
- ❖ एन०पी०ई०जी०ई०एल०— नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलीमेन्ट्री लेवल ।
- ❖ स्कूल चलो अभियान ।
- ❖ कस्तूरबा गाँधी आवासी बालिका विद्यालय योजना ।
- ❖ ई०सी०सी०ई० कार्यक्रम ।
- ❖ राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना ।
- ❖ मध्याह्न भोजन / पोषाहार वितरण ।
- ❖ छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाएं ।
- ❖ निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश, बच्चों हेतु फर्नीचर ।

प्रारम्भिक शिक्षा में नवीन प्रयास

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएँ संविधान के अनुच्छेद (21) ए 29 (2) एवं 45 के अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी संस्तुतियाँ

- भारतीय संविधान के अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी अनुच्छेद एवं उपबन्धों की जानकारी देना।
- अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 से अवगत कराना।
- बाल अधिकार क्या है? राष्ट्रीय बाल नीति और इनसे सम्बन्धित संवैधानिक प्राविधान।

प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में प्राथमिक शिक्षा प्रथम प्राथमिकता की वस्तु है। यह पहली सीढ़ी है जिसे सफलतापूर्वक पार करके ही कोई राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुँचता है। राष्ट्रीय विचार धारा एवं चरित्र निर्माण करने में जितना महत्वपूर्ण स्थान प्राथमिक शिक्षा का है, उतना किसी दूसरी सामाजिक, राजनीतिक या शैक्षणिक गतिविधि का नहीं। इसका सम्बन्ध किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग से न होकर देश की पूरी जनसंख्या से होता है। इस प्रकार सब व्यक्तियों की शिक्षा अथवा जनसाधारण की शिक्षा ही राष्ट्रीय प्रगति का मूलाधार है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। संसार के सभी प्रगतिशील देशों के समान भारत में भी बालक एवं बालिकाओं को 'निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा' प्रदान करना अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार किया।

इसलिए 'संविधान सभा' जिसने देश के संविधान का विकास किया, निम्नांकित शब्दों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीति निदेशक सिद्धान्त घोषित किया— "राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से दस वर्ष के अन्दर सब बच्चों के लिए जब तक वे चौदह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा।"

सन् 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था। संविधान द्वारा 1976 में किए गए संशोधन से शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। केन्द्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय एवं एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ करने का उत्तरदायित्व लिया। इसके अन्तर्गत सभी स्तरों पर शिक्षकों की योग्यता एवं स्तर को बनाए रखने एवं देश की शैक्षिक आवश्यकताओं का आकलन एवं रख-रखाव सम्मिलित है।

समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर केन्द्र और राज्य दोनों सरकार को नीति एवं कानून बनाने का अधिकार है।

भारतीय संविधान में ऐसी अनेक महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं उपबन्ध हैं जिनका शिक्षा से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है। जिसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व के अन्तर्गत अनुच्छेद 45 के अनुसार—

राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से दस वर्ष की अवधि में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

मौलिक कर्तव्य के अन्तर्गत अनुच्छेद 51क के अनुसार हर अभिभावक या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा।

मुख्य बिन्दु

- सन् 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का दायित्व था। संविधान में 1976 में किए गए संशोधन के पश्चात शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, जिसमें केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों को शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व होगा।
- भारतीय संविधान में अनेक उपबन्ध और धाराएँ हैं, जिनका शिक्षा से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है। ये उपबन्ध संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व एवं मौलिक अधिकार आदि में संकलित हैं।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (अनु0 21 क)

देश तथा समाज के लिए उपयोगी, सुयोग्य एवं उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण करने में शिक्षा की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा के प्रमुख स्तरों— प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर में से प्रारम्भिक शिक्षा समग्र शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्व के अन्तर्गत अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का संकल्प व्यक्त किया गया, परन्तु अब संविधान के 86 वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत एक नया अनुच्छेद 21 क जोड़कर बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार में सम्मिलित हो गया है। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद में 4 अगस्त, 2009 को बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 पारित हो गया है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद 27 अगस्त, 2009 को इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। इसके साथ ही देश के हर एक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया।

अनुच्छेद 29(2) में ऐसे समुदाय के अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं के स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा और राज्य ऐसी शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में अल्पसंख्या वर्ग की शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह किसी धार्मिक सम्प्रदाय के प्रबन्ध में है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु हर एक एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के दायित्वों को निर्धारित करता है। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खण्ड हैं। प्रत्येक अध्याय के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं—

अध्याय-1 प्रस्तावना रूप

स्कूल को परिभाषित करते हुए खण्ड 2 में चार प्रकार के स्कूल बताए गए हैं-

- सरकार द्वारा स्थापित और नियमित स्कूल।
- अनुदान प्राप्त निजी स्कूल।
- विशेष श्रेणी के स्कूल जैसे नवोदय, केन्द्रीय विद्यालय आदि।
- अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल।

अध्याय- 2 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार

- 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को अपने पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा होने तक प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- अपनी प्रारम्भिक शिक्षा को पाने और पूरा करने में किसी बच्चे को किसी तरह का शुल्क या खर्चा देने की जरूरत नहीं है।
- यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है, तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। उसे अपनी कक्षा के स्तर पर आने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण पाने का भी अधिकार होगा। किसी भी बच्चे को प्रवेश लेने से इन्कार नहीं किया जाएगा और जब तक उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी नहीं हो पाती, उसे न तो विद्यालय से निकाला जाएगा और न ही उसे रोका जाएगा। यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्रारम्भिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता, तो उसके बाद भी पढ़ाई पूरी होने तक, उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी।
- बच्चे को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार है। यदि किसी स्कूल में प्रारम्भिक शिक्षा पूरा करने का प्रावधान नहीं है तो बच्चे को किसी भी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण लेने का अधिकार होगा। प्रधानाध्यापक को टी0सी0 तुरन्त निर्गत करनी होगी। इसमें देरी करने पर प्रधानाध्यापक के खिलाफ सेवा नियमावली के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिस स्कूल में स्थानान्तरण होना है। वहाँ टी0सी0 को देर से प्रस्तुत करने को प्रवेश देने के लिए इन्कार करने या देर से प्रवेश देने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

अध्याय-3 केन्द्र, राज्य, स्थानीय सरकारों और अभिभावकों के दायित्व

इस अधिनियम के लागू होने के तीन साल के भीतर सरकार और स्थानीय सरकारों को पड़ोस का स्कूल स्थापित करना होगा।

- केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की साथ-साथ जिम्मेदारी है कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए धन का प्रावधान करें।
- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के साथ परामर्श कर खर्च का निश्चित प्रतिशत राज्य सरकार को सहायता अनुदान के तहत प्रदान करेगी।
- केन्द्र सरकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का फ्रेमवर्क तैयार करेगी, शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानदण्ड लागू करेगी और नवाचार, अनुसंधान, नियोजन और क्षमता विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों को आवश्यक तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी।

- राज्य और स्थानीय सरकारें 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश, उपस्थिति और प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होना सुनिश्चित करेगी, पड़ोस में विद्यालय की सुविधा सुनिश्चित करेगी। यह भी सुनिश्चित करेगी कि कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो।
- विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के अलावा विद्यालयों के काम-काज की निगरानी भी सुनिश्चित करेगी।
- प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चे को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराए।
- तीन साल से अधिक उम्र के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा हेतु तैयार करने के लिए उपयुक्त सरकार बच्चों के आरम्भिक देख-रेख के साथ उनके 6 वर्ष की उम्र होने तक पूर्व स्कूल शिक्षा (अर्ली चाइल्डहुड केयर) प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था बना सकती है।

अध्याय- 4 स्कूल और शिक्षकों के दायित्व

सरकारी विद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे ही निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित करना होगा।

- कोई भी विद्यालय प्रवेश लेने के लिए न तो कोई अनिवार्य दान या चंदा ले सकेगा और न ही अभिभावक/बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा। प्रवेश देने के लिए अनिवार्य रूप से चंदा या दान लेने की स्थिति में उसे दस गुना अर्थ दण्ड देना पड़ सकता है और चयन प्रणाली अपनाने के लिए पहली बार ऐसा करने पर 25 हजार रूपए और उसके बाद अपनाई गई हर प्रक्रिया पर 50 हजार रूप0 का दण्ड देना होगा। यदि कोई स्कूल पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान कर रहा है तो उसे इन कक्षाओं में सीटें आरक्षित करनी होंगी। इन बच्चों के खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी।
- बच्चे की उम्र का निर्धारण जन्म प्रमाण के द्वारा किया जाएगा जो कि जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण, 1986 के अनुसार दिया जाएगा। लेकिन प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इन्कार नहीं किया जा सकता।
- किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और न ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा। जब तक कि वह प्रारम्भिक शिक्षा पूरी न कर लें।
- किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। ऐसा किए जाने पर सेवा नियमों के तहत उस व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- अनुदान न पाने वाले निजी स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल एक प्रबंधन समिति का गठन करेंगे। इस समिति में स्थानीय सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि और स्कूल में नामांकित बच्चों के अभिभावक होंगे। कुल सदस्यों में तीन चौथाई सदस्य अभिभावकों में से होंगे। वंचित और कमजोर तबके से तथा महिलाओं से पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा। इस समिति के निम्न कार्य होंगे—
- स्कूल के कार्यों का अनुश्रवण करना।

- स्कूल विकास की योजना बनाना और संस्तुति करना।
- सरकार या स्थानीय सरकार अथवा अन्य कहीं से प्राप्त अनुदान के खर्चों का अनुश्रवण करना।
- अन्य सुझाए गए कार्यों को करना।

स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा बनाई गई स्कूल विकास की योजना राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के अनुदान देने का आधार बनेगी।

शिक्षकों के दायित्व निम्नलिखित होंगे—

- नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना।
- पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे पूरा करना।
- निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना।
- प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना।
- नियमित अभिभावक बैठकें आयोजित करना और बच्चे की नियमितता, उपस्थिति, सीख और सीख में प्रगति के बारे में चर्चा करना।
- इसके अतिरिक्त बताए गए अन्य दायित्वों को निभाना।

इस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने बाद राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षक-छात्र अनुपात अधिनियम की अनुसूची के अनुसार हर एक स्कूल में होगा। इसके लिए गैर शैक्षणिक कार्यों (सिर्फ जनगणना, चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर) से शिक्षकों को हटाया जाए। नियुक्त करने वाले अधिकारियों को यह ध्यान रखना होगा कि विद्यालय में शिक्षकों की कुल रिक्तियाँ स्वीकृत पदों से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं रहे।

अध्याय— 5 प्रारम्भिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसका पूरा किया जाना

- प्रारम्भिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की विधि उपयुक्त सरकार के अध्यादेश द्वारा निर्धारित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विधि को तय करने वाले शैक्षणिक प्राधिकारी इन बातों पर ध्यान देगा—
 - संविधान के निहित मूल्यों से इसकी अनुरूपता।
 - बच्चों का समग्रता में विकास।
 - बच्चे के ज्ञान, संभावित क्षमता और प्रतिभा का विकास।
 - शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं का पूर्णतम सीमा तक विकास।
 - बाल-केन्द्रित और बाल सुलभ तरीके से विभिन्न क्रियाकलापों, अन्वेषण और खोज के माध्यम से सीख उत्पन्न करना।
- जहाँ तक हो सके पढ़ाई का माध्यम बच्चे की मातृ भाषा में हो।
- बच्चे को भय, सदमा और चिन्ता मुक्त बनाना और उसे अपने विचारों को खुलकर कहने में सक्षम बनाना।

- बच्चे के ज्ञान की समझ और इसे व्यवहार में लाने की योग्यता का व्यापक और निरन्तर मूल्यांकन।
- प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करने से पहले किसी बच्चे को बोर्ड की परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होगा।
- प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करने वाले हर बच्चे को निर्धारित तरीके और प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

अध्याय-6 बाल अधिकारों का संरक्षण

- बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 में प्रावधानों के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय/राज्य बाल संरक्षण आयोग अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारी की समीक्षा करेंगे और उन पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करेंगे। साथ ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चे के अधिकार के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जाँच भी करेंगे।
- इस अधिनियम के अन्तर्गत बच्चे की शिक्षा के अधिकार से सम्बन्धित कोई भी शिकायत लिखित रूप में सम्बन्धित क्षेत्र अधिकारी से की जा सकती है। सम्बन्धित अधिकारी यथाशीघ्र मामलों का निपटारा करेगा।
- राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन केन्द्र सरकार करेगी जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा तथा बाल विकास के क्षेत्र में अनुभवी लोगों को रखा जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का काम इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में केन्द्र सरकार को परामर्श देना होगा।

अध्याय- 7 अन्य प्रासंगिक बातें

- इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी सम्बन्धित नियम बना सकती है।
- इस अधिनियम अथवा इसके बावत बनाए गए नियमों और आदेशों के पालन में केन्द्र सरकार राज्य सरकार, केन्द्रीय/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, स्कूल प्रबन्धन समिति और इस अधिनियम से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा सच्चे विश्वास के साथ किए गए कार्य पर कोई मुकदमा या वैधिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकेगी।

मुख्य बिन्दु

- 86 वे संविधान संशोधन, 2002 ने संविधान के खण्ड 3 में अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत एक नया अनुच्छेद 21-क जोड़ा, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार बना दिया है तथा 4 अगस्त, 2009 को अधिनियम के रूप में पारित हो गया।
- इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य सरकार के दायित्वों का निर्धारण कर दिया है।
- बच्चों के दाखिला या प्रवेश क सम्बन्ध में स्कूल और शिक्षकों के दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं।

सारांश

उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-09 के अन्तर्गत 6-14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को स्कूल में प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रवेश के दौरान स्कूल और शिक्षकों द्वारा बच्चों के दाखिला के सम्बन्ध में किसी प्रकार

का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकार 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश, उपस्थिति और प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होना सुनिश्चित करेगी तथा आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी।

समापन अभ्यास

- संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व के अन्तर्गत अनुच्छेद 45 में शिक्षा सम्बन्धी कौन सा प्रावधान किया गया है ?
- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 09 क्या है?
- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-09 के अन्तर्गत प्रत्येक बच्चे का विद्यालय में प्रवेश के सम्बन्ध में नियमों को विवरण कीजिए।
- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-09 के अन्तर्गत बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं?
- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-09 में बच्चों के प्रवेश से सम्बन्धित केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकार किन-किन दायित्वों का निर्वहन करेगी? लिखिए।
- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-09 की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।

बाल अधिकार

हम बाल अधिकारों के प्रति जागरूक हैं फिर भी सोचे, ऐसा क्यों हो रहा है ?

- आज भी सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा सुलभ नहीं है।
- हजारों की संख्या में बच्चों का अपहरण हो रहा है।
- बच्चों को भिक्षा माँगने पर मजबूर किया जाता है।
- बच्चे चाय की दुकानों और होटलों में काम कर रहे हैं।
- भारत जैसे देश में लड़के व लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण में अन्तर पाया जाता है।

वास्तव में, बच्चे—देश के भावी नागरिक होते हैं। उन्हीं के विकास पर देश का विकास निर्भर करता है। अतः बच्चों के संरक्षण एवं शिक्षा हेतु सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं।

उद्देश्य

- संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव में उल्लिखित बच्चों के अधिकारों की जानकारी देना।
- भारत सरकार द्वारा बच्चों के कल्याणार्थ किए गए प्रयासों से अवगत कराना।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवम्बर, सन् 1989 को की थी। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बालकों के अधिकार सम्बन्धी बिन्दु निम्नलिखित हैं—

- बच्चों को जन्म के तुरन्त बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार।
- प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार।
- बच्चों को माता—पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग न करना।
- माता—पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और सम्बन्ध बनाए रखने का अधिकार।
- बच्चों के अपहरण, क्रय—विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना।
- यदि माता—पिता अथवा उनके लिए रखे गए उत्तरदायी व्यक्ति बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, राष्ट्र उन्हें संरक्षण देगा।
- बच्चों को नशीले पदार्थों के प्रयोग से रोकना।
- जहाँ गोद लेने की मान्यता है वहाँ बच्चों के हित को ध्यान में रखना।
- शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान करना।
- बच्चों को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्य करने तथा शारीरिक, मानसिक, नैतिक अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से हानि होने से बचाना।
- लैंगिक शोषण से बचाना।
- सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भाग लेने तथा सेना में भर्ती होने पर निषेध है।
- भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसम्बर, 1992 को अंगीकृत कर लिया।

राष्ट्रीय बाल नीति

22 अगस्त, 1947 को भारत सरकार ने बच्चों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की। जिसके अन्तर्गत बालकों के पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास हेतु, सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए –

1. बालक के जन्म से पूर्व तथा उसके बाद के विकास की पर्याप्त सेवाएँ प्रदान करना राज्य का प्रमुख दायित्व है।
2. राज्य को 6–14 वर्ष की आयु के समस्त बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।
3. बालकों को उनके माता–पिता से अलग नहीं रखा जाए, जब तक कि वे अपने जीवन यापन में सक्षम न हों।
4. राज्य द्वारा बालकों के पोषक तत्वों के अभाव को दूर करने के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया जाए।
5. जो बालक औपचारिक शिक्षा से लाभ उठाने में सक्षम नहीं होते हैं राज्य को उन्हें शिक्षा देने के लिए अन्य तरीके उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
6. राज्य द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को जोखिम पूर्ण उत्पादक कार्यों में लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
7. प्रतिभासम्पन्न बच्चों का पता लगाने, प्रोत्साहन देने एवं सहायता देने के लिए राज्य को विशेष कार्यक्रम संचालित करना चाहिए।
8. राज्य को मादक पदार्थों के सेवन एवं उत्पादन तथा व्यापार आदि से बच्चों को बचाना चाहिए।
9. विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, वैज्ञानिक एवं सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना चाहिए।
10. शिक्षा को ऐसे जीवन को तैयार करने वाली होना चाहिए, जिससे बच्चों में समझ, शान्ति एवं सहिष्णुता की भावना का विकास हो सके।

संवैधानिक प्रावधान

अनु0 23 के अनुसार— स्त्री एवं बच्चों का क्रय-विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दण्डनीय अपराध है।

अनु0 24 के अनुसार बच्चों को कारखानों या जोखिम पूर्ण कार्यों में लगाना दण्डनीय अपराध है।

बालक नियोजन अधिनियम, 1938, बालक श्रम अधिनियम 1986, बालक श्रम (गिरवीकरण) अधिनियम 1933, भारतीय कारखाना अधिनियम, 1948, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958, मोटर परिवहन कर्मकार 1961, शिशु अधिनियम 1961, कारखानों और खानों में 14 वर्ष की आयु तक बच्चों की नियुक्ति करने का प्रतिषेध करते हैं।

1992 के अधिनियम 34 द्वारा विकलांग बच्चों को प्रशिक्षण देने वाले व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम तथा तकनीकियों को मानकीकृत रूप प्रदान किया गया।

86 वे संविधान संशोधन, 2002 ने संविधान के खण्ड 3 में अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत एक नया अनुच्छेद 21-क जोड़ा, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार बना दिया है तथा 4 अगस्त, 2009 को अधिनियम के रूप में पारित हो गया।

पुनरावृत्ति बिन्दु

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 20 नवम्बर, 1989 को बाल अधिकारों की घोषणा की गई जिसे भारत सरकार द्वारा 11 दिसम्बर, 1992 को अंगीकृत किया गया।

सारांश

बच्चे देश के भावी नागरिक होते हैं। उन्हीं के विकास पर देश का विकास निर्भर करता है। शिक्षा के द्वारा ही बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। अर्थात् शिक्षा ही बच्चों के विकास की आधारशिला होती है।

समापन अभ्यास

- संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बच्चों के अधिकारों का वर्णन कीजिए।
- बच्चों के कल्याणार्थ हेतु भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए।

प्रारम्भिक शिक्षा के सन्दर्भ में गठित आयोग एवं समितियाँ

प्रारम्भिक शिक्षा के सन्दर्भ में जो आयोग गठित हुए हैं? प्रशिक्षु उन पर चर्चा करें। चर्चा उपरान्त स्पष्ट करें कि प्रारम्भिक शिक्षा का कार्य किसी न किसी रूप में होता चला आ रहा है। सभ्यताओं के विकास के साथ-साथ प्रारम्भिक शिक्षा के लिए विद्यालय स्थापित किए गए। प्रारम्भिक शिक्षा का इतिहास बहुत पुराना है, इस शिक्षा का प्रारम्भिक स्वरूप गुरुकुलों में देखने को मिलता है। वैदिक युग में गुरुकुल में गुरु छात्रों को शिक्षा प्रदान करते थे। इसके पश्चात् बौद्धयुग में बौद्धमठों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा का माध्यम 'पाली' भाषा थी। मुस्लिम युग में शिक्षा मकतबों और मदरसों में दी जाती थी। फिर ब्रिटिश युग आया, इसमें ब्रिटिश शासक सामान्यतः शिक्षा के प्रति उदासीन थे।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य व्यापार और धर्म प्रचार करना था। लेकिन धीरे-धीरे देश के पर्याप्त भू-भाग के शासन की बागडोर कम्पनी के हाथ में आने लगी और उसकी सत्ता ने राजनीतिक रूप धारण कर लिया। अपनी इस सत्ता को चिरस्थायी बनाने के लिए कम्पनी द्वारा भारतीयों की शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जाना अनिवार्य हो गया। यहीं से ईस्ट इण्डिया कम्पनी की भारतीय शिक्षा का आरम्भ होता है।

प्रशिक्षु निम्न बिन्दुओं पर चर्चा करें

- ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा हेतु क्या-क्या प्रयास किए?
- 1813 का आज़ा पत्र क्या था ?

चर्चा उपरान्त प्रशिक्षु स्पष्ट करें कि सन् 1765 तक कम्पनी की शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा देने तक सीमित रही किन्तु, उसके उपरान्त उसकी शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ और उच्च शिक्षा की संस्थाएँ स्थापित की गईं। इस हेतु 1781 में कलकत्ता मदरसा तथा 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इन दोनों कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य मुसलमान नवयुवकों को मुस्लिम कानूनों और हिन्दू नवयुवकों को हिन्दू कानूनों में विशेष योग्यता प्रदान करके, अंग्रेजी न्यायाधीशों को सहायता देने के लिए तैयार करना था।

फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तत्कालीन गवर्नर जनरल, लार्ड वेलेजली द्वारा सन् 1800 में कलकत्ता नगर में की गई। यह कॉलेज, कम्पनी के असैनिक कर्मचारियों के लिए था और उनको भारतीय भाषाओं, हिन्दू मुस्लिम कानून एवं भारतीय इतिहास की शिक्षा प्रदान करता था तथा अन्त में सन् 1818 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 'आज़ापत्र' का प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात् ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। इस उद्देश्य से सन् 1813 में 'आज़ा पत्र' को पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत

1813 का आज़ा पत्र

- कम्पनी किस साहित्य का (पाश्चात्य या प्राच्य) का प्रसार करेगी।
- साहित्य का किस भाषा में प्रसार किया जाएगा ?
- किन विज्ञानों का प्रसार किया जाएगा ?

किया गया। इस 'आज्ञापत्र' ने प्राच्य-पाश्चात्य विवाद को जन्म दिया। इस धारा का भारतीय शिक्षा के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इस आज्ञा पत्र ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात करके भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा में मोड़ा।

सन् 1813 के 'आज्ञापत्र' की 43 वीं धारा ने भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व कम्पनी को दिया और उसे उनकी शिक्षा पर प्रति वर्ष कम से कम एक लाख रुपये की धनराशि व्यय करने का आदेश दिया। किन्तु 'धारा' में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया था कि यह धनराशि किस प्रकार की शिक्षा पर व्यय की जाए— प्राच्य शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा पर। फलतः इस प्रश्न को लेकर कम्पनी के कर्मचारियों में शिक्षा के स्वरूप के विषय में विवाद उठ खड़ा हुआ। इस विवाद को 'प्राच्य-पाश्चात्य विवाद' की संज्ञा दी गई। इस विवाद में भाग लेने वाले दो मुख्य दल थे— प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी (Orientalists and Occidentalists)। प्राच्यवादी दल चाहते थे भारतीयों को उनकी प्राचीन साहित्य, भाषा और संस्कृति का ज्ञान दिया जाए। वारेन हेस्टिंग्स, जानथेन डंकन विल्सन इस दल के समर्थक थे।

पाश्चात्यवादी दल में कम्पनी के नवयुवक कर्मचारी और मिशनरी थे। उन्होंने प्राच्यवादी नीति का जमकर विरोध किया। उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि प्राच्य शिक्षा और साहित्य पुरातन हो चुकी है। अतः भारतीयों का मानसिक विकास करने के लिए उनको अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानों से अवगत कराया जाना आवश्यक है। वास्तव में, पाश्चात्यवादियों ने भारतीयों में यूरोपीय ज्ञान और विज्ञानों के प्रसार का किसी निस्वार्थ भावना से नहीं, वरन् निज हित की भावना से प्रेरित होकर किया। उन्हें अपने व्यापारिक और प्रशासकीय कार्यालयों के लिए अंग्रेजी शिक्षित 'बाबू वर्ग' की आवश्यकता थी।

इस प्रकार प्राच्यवादियों और पाश्चात्यवादियों का विवाद, सन् 1834 तक चलता रहा। अन्त में, 1835 में, लोक शिक्षा समिति के मंत्री ने दोनों दलों के विचारों को तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बैंटिक के सम्मुख निर्णयार्थ प्रस्तुत किया।

प्रश्न चर्चा कर स्पष्ट करें— प्राच्य- पाश्चात्य विवाद के मुख्य कारण क्या थे ?

मैकॉले का विवरण पत्र, 1835 (Macaulay's Minute 1835)

10 जून, सन् 1834 को लार्ड मैकॉले ने गवर्नर जनरल की कौंसिल के 'कानून सदस्य' के रूप में भारत में पदार्पण किया। उस समय तक 'प्राच्य-पाश्चात्य विवाद' उग्रतम रूप धारण कर चुका था। बैंटिक ने मैकॉले को बंगाल की 'लोक शिक्षा समिति' का सभपति नियुक्त किया और इस विवाद को सुलझाने हेतु कानूनी सलाह देने का अनुरोध किया। मैकॉले ने '1813 के आज्ञापत्र' की 48वीं धारा में अंकित एक लाख रुपये की धनराशि को व्यय करने की विधि तथा दोनों दलों के

मैकॉले शिक्षा द्वारा भारत में ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो 'रंग-रूप में तो भारतीय हो परन्तु वेशभूषा, बातचीत, चिन्तन तथा विचारों में अंग्रेज हो।'

व्यक्तियों का सूक्ष्म अध्ययन कर अपनी सलाह को अपने प्रसिद्ध 'विवरण-पत्र' में लेखबद्ध करके 2 फरवरी, सन् 1835 को लार्ड बैटिक के पास भेज दिया।

मैकॉले का विवरण पत्र

मैकॉले ने अपने 'विवरण पत्र' में सन् '1813 के आज्ञा पत्र' की 43 वीं धारा की निम्नलिखित प्रकार से व्याख्या की –

1. एक लाख रुपये की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वह इस धनराशि को अपनी इच्छानुसार किसी भी प्रकार से व्यय कर सकती है।
2. 'साहित्य' शब्द के अन्तर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं, अपितु अंग्रेजी साहित्य को सम्मिलित किया जा सकता है।
3. "भारतीय विद्वान" मुसलमान मौलवी एवं संस्कृत के पण्डित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी ही सकता है।

'आज्ञा पत्र' की 43 वीं धारा की व्याख्या करने के बाद, मैकॉले ने प्राच्य शिक्षा एवं साहित्य का प्रबल खण्डन किया और अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानों की शिक्षा का शक्तिशाली समर्थन किया। इस प्रकार मैकॉले ने भारतीय साहित्य को निरर्थक बताते हुए अंग्रेजी को अधिक समृद्ध बताया। इसके अतिरिक्त मैकॉले अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता है जो रक्त और रंग में भले ही भारतीय हो, पर रुचियों, विचारों, नैतिकता और विद्वता में अंग्रेज होगा।

प्रशिक्षु स्पष्ट करें कि मैकॉले के सुझाव पर निर्मित शिक्षा नीति के निम्नांकित दोष उभर कर आए—

- भारतीयों में फूट का बीजारोपण हुआ।
- भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की अवहेलना की गई।
- भारतीय धर्म की अवहेलना की गई।
- विदेशी सभ्यता को भारत पर थोपा गया।
- भारत में ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार किया गया जो अंग्रेजी शासन को दृढ़ता प्रदान करें।

प्रशिक्षु यह भी स्पष्ट करें कि शिक्षा नीति के उपर्युक्त दोष उभरकर आए, फिर भी उसकी शिक्षा नीति ने निम्नांकित अच्छे प्रभाव भी डाले—

- भारत के लिए विस्तृत ज्ञान के द्वारा खुलना।
- भारत की आधुनिक शिक्षा संरचना का शिलान्यास रखना।
- भारत में राजनैतिक जागरूकता उत्पन्न करना।

मार्च, 1835 का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पहली नीतिगत घोषणा थी। तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बैटिक ने 7 मार्च, 1835 को मैकॉले के विचारों का स्वागत करते हुए एक विज्ञप्ति द्वारा सरकार की शिक्षा नीति को निम्नांकित शब्दों में घोषित किया—

“शिक्षा के लिए निर्धारित सम्पूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है।”

प्राच्य-पाश्चात्य विवाद का अन्त, 1839

प्रशिक्षु चर्चा करें कि

- प्राच्य-पाश्चात्य विवाद का अन्त किस प्रकार हुआ।

चर्चा उपरान्त प्रशिक्षु स्पष्ट करें कि ‘विज्ञप्ति’ ने सरकार की शिक्षा नीति को निश्चित दिशा प्रदान कर दी, पर वह प्राच्य-पाश्चात्य विवाद का अन्त न कर सकी। लार्ड बैंटिंक के जाने के बाद लार्ड ऑकलैण्ड ने भारत के गवर्नर जनरल का पद सम्भाला। ऑकलैण्ड ने निर्णय दिया कि यदि प्राच्य शिक्षा पर कुछ धन और व्यय कर दिया जाए, तो प्राच्यवादी अपना आन्दोलन स्थगित कर देंगे। अन्त में तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑकलैण्ड ने अपने विवरण पत्र में प्राच्यवादियों की प्रति वर्ष 31 हजार रुपये की अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की। इस घोषणा ने प्राच्यवादियों को प्रसन्न कर दिया। फलस्वरूप, लम्बे समय से चले आ रहे विवाद का अन्त हो गया।

वुड का आदेश-पत्र 1854 (Wood's Despatch, 1854)

भारतीय शिक्षा के इतिहास में सन् 1833 से 1853 की अवधि को पाश्चात्य शिक्षा की अवधि कहा जाता है। बैंटिंक की सन् 1835 की ‘विज्ञप्ति’ ने अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा देने को सरकार की शिक्षा नीति बताया। सरकार की शिक्षा नीति के कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए अनेक स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की गई।

सन् 1853 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के ‘आज्ञा पत्र’ के पुनरावर्तन के तहत भारतीय शिक्षा की समस्याओं का समाधान किया जाना अनिवार्य था। सर चार्ल्स वुड कम्पनी के ‘बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल’ के सभापति थे। उन्होंने 1854 को एक आदेश पत्र में भारतीय शिक्षा नीति का प्रकाश किया। अतः आदेश पत्र को उसी के नाम पर ‘वुड का आदेश पत्र’ कहा जाता है।

वुड के आदेश पत्र के सुझाव व सिफारिशें (Suggestions and Recommendation of the Despatch of wood)

प्रशिक्षु निम्न बिन्दुओं पर चर्चा करें-


- वुड का घोषण पत्र क्या था?
- वुड के आदेश पत्र की सुझाव क्या-क्या थे?

चर्चा उपरान्त प्रशिक्षु निम्नलिखित बिन्दुओं को स्पष्ट करें कि-

1. आदेश पत्र में यह स्वीकार किया गया कि भारत में शिक्षा प्रसार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी पर है।

वुड का घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों का लम्बा लेख पत्र है, जिसमें भारतीय शिक्षा के सभी पत्रों पर विचार किया गया है और उसके सम्बन्ध में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं।

2. 'आदेश पत्र' में भारतीयों की शिक्षा के चार उद्देश्य निर्धारित किए गए—
 - भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके उनकी मानसिक और चारित्रिक उन्नति करना।
 - भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत कराके उनकी भौतिक समृद्धि करना।
 - भारतीयों को राजपदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना।
 - भारतीयों को अपने देश को समृद्धशाली बनाने में सहायता देना।
3. 'आदेश पत्र' में अंग्रेजी और देशी भाषाओं दोनों को शिक्षा का माध्यम निश्चित किया गया।
4. 'आदेश पत्र' में भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान के लिए मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित करने की आज्ञा दी गई।
5. "आदेश पत्र" में यह निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षा-संस्थाओं की योजना को क्रियान्वित किया जाए।



6. आदेश पत्र में जनसाधारण की शिक्षा की सिफारिश की गई। जिसके अन्तर्गत सरकार— प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन व्यय कर प्रत्येक जिले में स्कूलों की स्थापना करे, देशी विद्यालयों का सुधार करे, मेधावी और निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दे जिससे उनको निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिले।
7. "आदेश पत्र" में भवन-निर्माण, छात्र-वृत्तियों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, अध्यापकों के वेतन आदि के लिए भी 'सहायता अनुदान-प्रणाली' की व्यवस्था की गई।
8. "आदेश पत्र" में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया गया।
9. व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देते हुए आदेश पत्र में कहा गया कि भारत में ऐसे स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की जाए, जिनमें छात्रों को विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा की सुविधा मिल सके।
10. स्त्री शिक्षा एवं मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के 'आदेश पत्र' में सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की गई।

11. "आदेश पत्र" में यह सिफारिश की गई कि प्राच्य साहित्य और देशी भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करवाया जाए।
12. "आदेश पत्र" ने इस बात पर बल दिया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियाँ दी जाएँ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि वुड के आदेश पत्र ने भारत में शिक्षा व्यवस्था को एक नूतन आयाम देने की संकल्पना की। उनके सुझावों के फलस्वरूप भारत में प्राथमिक शिक्षा पर अधिक व्यय करके जनसाधारण की शिक्षा पर जोर दिया गया। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, सम्पूर्ण देश में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की योजना कार्यान्वित की गई सहायता प्रणाली का सूत्रपात किया गया, लोक शिक्षा विभागों का निर्माण हुआ और छात्रवृत्तियाँ देने की परम्परा आरम्भ हुई।

भारतीय शिक्षा आयोग-हण्टर आयोग (1882-1883) Hunter Commission

सन् 1854 के वुड के "आदेश पत्र" में नीहित शिक्षा सम्बन्धी संस्तुतियों से भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। परन्तु 1857 की क्रान्ति के फलस्वरूप भारतीय शिक्षा की प्रगति का मार्ग कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गया। यह क्रान्ति कम्पनी के शासन के विरुद्ध भारतवासियों के प्रबल असन्तोष को प्रकट करता था। अतः सन् 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेण्ट ने कम्पनी के शासन को समाप्त करके इंग्लैण्ड की रानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया। ब्रिटिश पार्लियामेण्ट ने सन् 1880 में लार्ड रिपन को इस देश के नए गवर्नर जनरल के रूप में मनोनीत किया। लार्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा की समस्याओं को दूर करने तथा जनसाधारण की शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1882 में "भारतीय शिक्षा आयोग (Indian education commission) की नियुक्ति की। इस आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हण्टर थे। अतः इनके नाम से इस आयोग को "हण्टर कमीशन" के नाम से भी जाना जाता है।

आयोग के सुझाव व सिफारिशें (Suggestions and recommendations of the commission)

आयोग ने भारतीय शिक्षा के अंगों और क्षेत्रों का गहन अध्ययन करने के पश्चात उनके सम्बन्ध में सुझावों और सिफारिशों को प्रस्तुत किया। प्रशिक्षु प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में आयोग के दिये सुझावों पर चर्चा करें

चर्चा उपरान्त स्पष्ट करें कि इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया और उसके प्रत्येक अंग जैसे नीति, संगठन आर्थिक व्यवस्था, पाठ्य विषय, अध्यापकों के प्रशिक्षण आदि के विषय में अपने सुझाव सरकार के सामने प्रस्तुत किए, जो निम्नवत हैं—

1. प्राथमिक शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है जनसाधारण में शिक्षा का विस्तार होना चाहिए।
2. आदिवासियों और पिछड़ी जातियों में प्राथमिक शिक्षा प्रसार के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
3. प्राथमिक शिक्षा को व्यावहारिक बनाया जाए। पाठ्यक्रम में ऐसे विषय सम्मिलित किए जाए जो छात्रों को आत्म निर्भर बना सके।
4. सरकार प्राथमिक विद्यालयों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करें।
5. प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन और संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार को जिला परिषदों, नगरपालिकाओं आदि स्थानीय निकायों को सौंप देना चाहिए।
6. स्थानीय निकायों द्वारा स्थायी और पृथक कोष का निर्माण किया जाना चाहिए। गाँव और शहर के विद्यालयों के लिए अलग-अलग कोषों का निर्माण किया जाए जिससे गाँव में व्यय किए जाने वाले धन का उपयोग नगरों में न किया जाए। आयोग ने आदेश दिया कि वह धनराशि केवल प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए ही की जाए।
7. प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में पहले से समाविष्ट विषयों के अतिरिक्त अन्य उपयोगी विषयों जैसे— चिकित्सा, विज्ञान, कृषि, बहीखाता, क्षेत्रमिति, गणित आदि सम्मिलित किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण देश में एक ही पाठ्यक्रम होना चाहिए उसे स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए।

प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षण स्तर को ऊँचा उठाने के लिए आयोग ने अध्यापकों के प्रशिक्षण पर बल दिया और स्थान-स्थान पर नार्मल स्कूल खोलने की सिफारिश की। प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना ऐसे स्थान पर ही की जाए जहाँ अधिक से अधिक प्राथमिक विद्यालय हो। कम से कम एक नार्मल स्कूल एक प्रान्तीय निरीक्षक में क्षेत्र में आ जाए।

प्रत्येक निरीक्षक का कर्तव्य है कि वह नार्मल स्कूलों की सफलता के लिए अपने अधीन प्रशिक्षण विद्यालयों में रुचि ले और छात्र-अध्यापकों में शिक्षण के प्रति प्रेरणा उत्पन्न करें। प्राथमिक विद्यालयों पर व्यय करने के लिए जो धनराशि निश्चित की जाए, उस पर प्राथमिक विद्यालयों का पूर्ण अधिकार रहे।

शिक्षा आयोग (1964-66) कोटारी आयोग

स्वतन्त्रता के उपरान्त देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में शिक्षा के महत्वपूर्ण स्थान को स्वीकार किया गया है। शिक्षा द्वारा ही लोकतन्त्रीय समाज का निर्माण किया जा सकता है। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता को सम्भव बना सकती है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब यह अनिवार्य समझा

जाने लगा है कि शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र की जाँच की जाए, जिसके फलस्वरूप कम से कम समय में एक सन्तुलित एवं सुसंगठित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास किया जा सके, जो राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे सके।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही भारत ने राष्ट्रीय विकास के नए युग में प्रवेश किया। इस युग में भारत के लक्ष्य हैं— निर्धनता उन्मूलन, कृषि का आधुनिकीकरण एवं उद्योगों का विकास, सब व्यक्तियों के रहन-सहन के स्तर का उन्नयन, आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग और परम्परागत मूल्यों से उनका समन्वय, समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना धन का समान वितरण और 14 वर्ष की अवस्था तक के सब बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आदि। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण को सबसे अधिक शक्तिशाली साधन माना जाने लगा है किन्तु शिक्षा इन लक्ष्यों की प्राप्ति में तभी सहायता दे सकती है, जब उसके परम्परागत स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाए और उसमें आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए।

भारत में राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली का विकास करने के लिए, शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र की जाँच की जानी आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा प्रणाली के सब अंग एक दूसरे पर शक्तिशाली प्रतिक्रिया करते हैं और प्रभाव भी डालते हैं। अच्छे माध्यमिक विद्यालयों के बिना शक्तिशाली एवं प्रगतिशील विश्वविद्यालय नहीं हो सकते हैं और माध्यमिक विद्यालय तभी उत्तम हो सकते हैं, जब प्राथमिक विद्यालय कुशलता पूर्वक कार्य करें। अतः आवश्यक है कि शिक्षा के विभिन्न अंगों एवं स्तरों की अलग-अलग जाँच न करके, शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र की जाँच की जाए।

भारत सरकार ने 14 जुलाई, सन् 1964 के “प्रस्ताव” में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष— प्रोफेसर डी0 एस0कोठारी की अध्यक्षता में “शिक्षा आयोग” की नियुक्ति की घोषणा की। प्रोफेसर कोठारी के नाम से इस “आयोग” को **कोठारी कमीशन** भी कहा जाता है। आयोग में कुल 17 सदस्य थे, जिसमें से 6 अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर सघन प्रकाश डाला। राष्ट्रीय उत्थान में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित करने की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

प्रशिक्षु चर्चा करे —

- कोठारी आयोग ने शिक्षा के परम्परागत स्वरूप के स्थान पर आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को क्यों महत्व दिये?

चर्चा उपरान्त प्रशिक्षु स्पष्ट करें कि राष्ट्रीय आयोग के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्नवत् थे—

शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य

- शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि
- शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास
- शिक्षा द्वारा प्रजातन्त्र की सुदृढता
- शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी
- शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके चरित्र निर्माण

1. शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य

शिक्षा आयोग ने कहा कि कृषि एवं उत्पादन की वृद्धि हेतु विज्ञान को कृषि एवं उत्पादन कार्यों से जोड़ दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा को अधिक से अधिक व्यावसायिक रूप प्रदान किया जाना चाहिए तथा उच्च शिक्षा में कृषि शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। आयोग ने कहा सामाजिक व राष्ट्रीय एकता का विकास करने के लिए शिक्षा के सब स्तरों पर सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा का अध्ययन अनिवार्य बना देना चाहिए। प्रत्येक शिक्षा संरचनाओं में सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा के कार्यक्रमों को आरम्भ किया जाना चाहिए। सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायता देने के लिए सरकार द्वारा उपयुक्त भाषा नीति का निर्माण किया जाना चाहिए तथा मातृभाषा अर्थात् प्रादेशिक भाषा को सब स्तरों पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। अंग्रेजी के शिक्षण एवं अध्ययन को विद्यालय स्तर से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सभी पाठ्यक्रमों में नागरिक, संविधान के सिद्धान्तों एवं लोकतन्त्रीय समाजवादी के स्वरूप को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए।

प्रजातन्त्र की सुदृढ़ता के लिए 14 वर्ष की आयु तक के बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए तथा धर्म, वर्ण, लिंग, जाति एवं स्थिति का भेदभाव किए बिना सभी को शिक्षा के समान अवसर दिया जाना चाहिए।

आधुनिकीकरण करने के लिए विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा आधुनिकीकरण की प्रगति एवं शैक्षिक प्रसार की गतियों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। आयोग ने यह विचार प्रकट किया कि शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। सब प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में इन मूल्यों की शिक्षा रोचक कहानियों द्वारा की जानी चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में इन मूल्यों के सम्बन्ध में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों में विचार-विनिमय होना चाहिए।

प्रशिक्षु चर्चा करे कि

- जब आप प्राथमिक कक्षा में पढ़ते थे तब आपके शिक्षकों द्वारा अथवा माता-पिता द्वारा मूल्यों के विकास के लिए क्या-क्या बातें बतायी जाती थी?

चर्चा उपरान्त विचार-विनिमय को प्रशिक्षु स्पष्ट भी करें।

2. शिक्षा की संरचना व स्तर

आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शैक्षिक ढाँचे में परिवर्तन करने का सुझाव दिया। आयोग ने एक से तीन वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा, दस वर्ष की सामान्य शिक्षा, दो वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा प्रथम उपाधि के लिए द्विवर्षीय उच्च शिक्षा रखने का सुझाव दिया।

10 वर्ष की सामान्य शिक्षा	2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा
	3 या 2 वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा
	3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा
	4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा
	1 से 3 वर्ष की पूर्व विद्यालय शिक्षा

“विद्यालय संकुलों” का यथाशीघ्र निर्माण किया जाना चाहिए। एक संकुल में एक माध्यमिक स्कूल और उसके समीप सब प्राथमिक स्कूल होने चाहिए। प्रत्येक संकुल के सब स्कूलों द्वारा सामूहिक रूप से स्तरों के उन्नयन के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए।

3. अध्यापकों की स्थिति

आयोग ने शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक व व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफरारिश की। इसके लिए अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन करने, वेतनक्रम प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात दोहराने, योग्यता के आधार पर पदोन्नति देने, अध्यापक कल्याण कार्यक्रम प्रारम्भ करने, शिक्षकों के अध्यापक कार्य के घण्टों को निश्चित करने, सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के विद्यालयों में शिक्षकों के वेतन-क्रमों में समानता के सिद्धान्त को अपनाने के सुझाव दिए। इसके अतिरिक्त अध्यापिकाओं की नियुक्ति को प्रोत्साहित करने, आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले, अध्यापकों को विशेष मत देने शिक्षकों को राजनीति में भाग लेने की स्वतन्त्रता देने तथा राष्ट्रीय पुरस्कार योजना चालू करने के सम्बन्ध में परामर्श दिए।

4. अध्यापक प्रशिक्षण

शिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए आयोग ने सुझाव दिए कि अध्यापक प्रशिक्षण को उन्नत किया जाए।

- अध्यापकों को अध्ययन की अधिक सुविधाएँ दी जाए।
- विश्वविद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण को स्थान दिया जाए।
- राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियों, शिक्षण सामग्री व शिक्षण पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाया जाए।
- प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए जो स्नातक हैं, प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की होनी चाहिए।
- प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के अध्यापकों के पास या तो शिक्षा में एम0ए0 की उपाधि होनी चाहिए या बी0एड0 की उपाधि के साथ-साथ कोई स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए।

5 शैक्षिक अवसरों की समानता

न्याय, समानता व स्वतन्त्रता प्रजातन्त्र के मूलभूत आधार हैं। अतः भारत जैसे प्रजातान्त्रिक राष्ट्र में सभी नागरिकों को अपनी योग्यताओं का विकास करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। सरकार के इस दायित्व को देखते हुए आयोग ने कहा कि जाति व धर्म के भेदभाव को समाप्त किया जाए,

पुस्तक बैंक की व्यवस्था की जाएँ, छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाई जाए, विकलांगों की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध किया जाए, प्रादेशिक स्तर पर असंतुलन को दूर करके राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा योजना बनाई जाएँ।

6. विद्यालय शिक्षा विस्तार

आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार हेतु निम्नांकित सुझाव दिए हैं –

- सन् 1975–76 तक देश के सब बच्चों हेतु 5 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- सन् 1985–86 तक देश के सब बच्चों के लिए 7 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की योजना पूर्ण कर दी जानी चाहिए और भारतीय संविधान द्वारा प्रतिपादित लक्ष्य की प्राप्ति हो जानी चाहिए।
- अपव्यय व अवरोधन को अधिक से अधिक कम करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
- प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना इस प्रकार की जानी चाहिए कि लोअर प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल किसी बालक के घर से क्रमशः 1 और 3 मील से अधिक दूर न हों।
- जो बालक निम्न शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे अध्ययन न करना चाहते हो, उनके लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

7. पाठ्यक्रम सुधार

पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आयोग ने कहा कि कक्षा दस तक का पाठ्यक्रम सभी छात्रों के लिए एक समान होना चाहिए। स्कूलों को अपनी आवश्यकतानुसार पाठ्यवस्तु बनाने तक की छूट होनी चाहिए, कक्षा 1 से 4 तक मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, कक्षा 5 से 7 तक दो भाषाएँ तथा कक्षा 8 से 10 तक तीन भाषाएँ अनिवार्य होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में कार्यानुभव व समाजसेवा को स्थान दिया जाना चाहिए तथा छात्रों को नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए।

8. शिक्षण विधियाँ, निर्देशन व मूल्यांकन

आयोग ने विद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली परम्परागत शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए सुझाव दिए जैसे— शिक्षण विधियों में लचीलापन होना चाहिए। प्रधानाचार्यों एवं शिक्षा के अधिकारियों को शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना चाहिए। नवीन शिक्षण विधियों का प्रसार करने लिए प्रदर्शनों, वर्कशापों, परीक्षणों, सेमीनारों एवं अभिनव पाठ्यक्रमों के कार्यक्रम आरम्भ किए जाने चाहिए। पाठ्यपुस्तकों को एन0सी0ई0आर0टी0 के द्वारा निर्धारित किए गए सिद्धान्तों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य में पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों को लिखने के लिए देश के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को पर्याप्त पारिश्रमिक देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

प्राथमिक विद्यालयों में निम्नतम कक्षा से निर्देशन दिए जाने का कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए। अध्यापकों को प्रशिक्षण काल में निर्देशन सम्बन्धी सब बातों का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। निर्देशन कार्य में सहायता देने के लिए व्यावसायिक साहित्य का निर्माण किया जाना चाहिए।

आयोग के अनुसार- मूल्यांकन शिक्षा का अभिन्न अंग है और इसका शिक्षा उद्देश्यों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः मूल्यांकन की विधियाँ वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय एवं व्यावहारिक होनी चाहिए। निम्न प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य-छात्रों की मूलमूल कुशलताओं में सुधार करना और उनमें अच्छी आदतों एवं अभिवृत्तियों का विकास होना चाहिए। प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने पर जिले के शिक्षा अधिकारी द्वारा छात्रों की वाह्य परीक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त आयोग ने कृषि विकास हेतु कृषि विद्यालय एवं कृषि शिक्षा को सामान्य शिक्षा का अंग बनाने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को रोजगार उन्मुख बनाने, तकनीकी पाठ्यक्रमों में सुधार करने तथा इंजिनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रत्यक्ष तथा प्रायोगिक कार्य को अधिक महत्व देने का सुझाव दिया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 ,वं प्रोग्राम ऑफ ऐकशन 1992

प्रशिक्षु चर्चा करें

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई?

चर्चा उपरान्त प्रशिक्षु स्पष्ट करें कि आर्थिक एवं तकनीकी विकास के दौर में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाने तथा जन-जन तक पहुँचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक मार्ग शिक्षा है। अतः भारत सरकार ने जनवरी 1986 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' का निर्माण करने की घोषणा की। जो सन् 1986 की 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के नाम से प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 को कुल 12 खण्डों में बाँटा गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाहित बिन्दु

1. शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली के अन्तर्गत एक निश्चित स्तर तक सभी छात्रों की जाति, मत या लिंग के भेदभाव के बिना तुलनीय गुणवत्ता वाली शिक्षा तक सभी की पहुँच हो। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली में एक समान शिक्षा संरचना समाहित है। 10 + 2 + 3 संरचना को राष्ट्र के सभी भागों में स्वीकार किया जाएगा। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढाँचे पर आधारित होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (NCERT), राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA) तथा अन्तरराष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान (ISTE) मिलकर शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति असमानता को दूर करने तथा शैक्षिक अवसरों की समानता पर विशेष ध्यान देगी। स्त्री निरक्षरता तथा प्रारम्भिक शिक्षा तक महिलाओं की पहुँच के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जातियों को अन्य जातियों के समान लाने के लिए जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल खोले जाएंगे तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

2. पोषण, स्वास्थ्य तथा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक व संवेगात्मक विकास की दृष्टि से पूर्व बाल्यकाल शिक्षा (ECCE) को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। प्रारम्भिक शिक्षा में दो बातों (1) 14 वर्ष की आयु तक के बालकों हेतु सार्वभौमिक स्थायित्व एवं (2) शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर जोर दिया जाएगा। प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। स्कूल छोड़ कर जाने वाले बालकों की समस्या का समाधान करने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। व्यावसायिक पाठ्यक्रम या संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। नव साक्षरों, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त युवकों, कार्यरत व्यक्तियों तथा बेरोजगार या अर्ध बेरोजगार व्यक्तियों को व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे।
3. तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा हेतु कम्प्यूटर का प्रारम्भिक ज्ञान तथा उनके उपयोग का प्रशिक्षण प्रोफेशनल शिक्षा का एक अंग होगा। महिलाओं, आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों तथा

विकलांगों के लाभ के लिए तकनीकी शिक्षा के उपयुक्त तथा अनौपचारिक कार्यक्रम बनाए जाएंगे। तकनीक व प्रबन्धन शिक्षा के प्रसार में अपनी भूमिका अदा करने के लिए प्रोफेशनल संघों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

4. शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रियाओं को सांस्कृतिक पाठ्यवस्तु से सुदृढ़ किया जाएगा। पुस्तकों की गुणवत्ता सुधारने, रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने के उपाय किए जाएंगे। वर्तमान पुस्तकालयों के सुधार तथा नये की स्थापना के लिए राष्ट्रव्यापी आन्दोलन चलाया जाएगा। गणित को केवल एक विषय के रूप में ही नहीं बल्कि विश्लेषण तथा तर्क से युक्त किसी भी विषय के सहगामी के रूप में स्वीकार किया जाएगा। विज्ञान शिक्षा को इस तरह सुदृढ़ करना होगा कि यह बालकों में जिज्ञासा, सृजनशीलता जैसी योग्यताओं तथा मूल्यों को विकसित कर सकें तथा विज्ञान का स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग व जीवन के अन्य पक्षों से सम्बन्ध को खोजने योग्य बन सके।

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) द्वारा सुझाए गए दस केन्द्रिक बिन्दु एवं राष्ट्रीय महत्व से सम्बन्धित विषयों को पाठ्यक्रम में स्तरानुकूल यथास्थान सम्मिलित किया जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में केन्द्रिक बिन्दु निम्नवत् है—

- भारतीय स्वतन्त्रता संघर्ष
- संवैधानिक दायित्व
- राष्ट्रीयता के पोषक तत्व
- हमारी सांस्कृतिक विरासत
- नर-नारी समानता
- पर्यावरण संरक्षण
- सामाजिक प्रगति में बाधक तत्व
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण
- सीमित परिवार की संकल्पना
- लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता,

6. अध्यापकों को रचनात्मक एवं सृजनात्मक दिशा में प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने वाली परिस्थितियों के तैयार करने के लिए सरकार व समुदाय को प्रयास करना चाहिए। सम्पूर्ण राष्ट्र में एक समान वेतन तथा सेवा शर्तों के प्रयास किए जाएंगे। प्राथमिक स्कूल शिक्षकों तथा अनौपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत व्यक्तियों के लिए पूर्व सेवा एवं सेवारत पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे।

7. शिक्षा की योजना एवं प्रबन्ध प्रणाली में परिवर्तन को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उसे देश की विकासात्मक और जन शक्ति विषयक आवश्यकताओं से जोड़ा जाएगा। शिक्षा नियोजकों, प्रशासकों तथा संस्थाओं के प्रधानों के प्रशिक्षण को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। गैर सरकारी एवं स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

शिक्षा को राष्ट्रीय विकास एवं संघर्ष के लिए निवेश का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाएगा। नई नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन की प्रत्येक पाँच वर्ष बाद समीक्षा की जानी चाहिए। क्रियान्वयन में हुई प्रगति को समय-समय पर जानने के लिए अल्प अन्तराल पर मूल्यांकन भी किया जाएगा।

प्रशिक्षु निम्नलिखित बिन्दुओं से पुनरावृत्ति कराए

- स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात उत्पन्न नवनी चुनौतियों तथा सामाजिक आवश्यकताओं से निपटने के लिए 1986 में राजीव गाँधी सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया जो सन् 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से प्रसिद्ध है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का ढाँचा तैयार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का मूल-मंत्र यह है कि एक निश्चित स्तर तक प्रत्येक विद्यार्थी को बिना किसी धर्म, स्थान या लिंग के भेद-भाव के बिना तुलनीय गुणवत्ता वाली शिक्षा तक सभी की पहुँच हो।

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 (प्रोग्राम ऑफ एक्शन, 1992)

प्रशिक्षु चर्चा करें-

- प्रोग्राम ऑफ एक्शन-1992 के बारे में आप क्या जानते हैं?

चर्चा उपरान्त प्रशिक्षु स्पष्ट करें कि सन् 1986 में घोषित नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति शैक्षिक विकास के क्षेत्र में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम था। इस शिक्षा नीति में 10+2+3 की राष्ट्रीय संरचना को अपनाने, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को लागू करने, शैक्षिक अवसरों की समानता, नवोदय विद्यालयों की स्थापना आदि पर विशेष जोर दिया गया। इस शिक्षा नीति में यह भी कहा गया था कि प्रत्येक पाँच वर्ष के उपरान्त विभिन्न संकल्पों की समीक्षा की जाएगी। अतः इसी क्रम में 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 की समीक्षा की गई और उसमें कतिपय संशोधन किए गए, जिसे कार्यान्वयन कार्यक्रम-1992 (Programme of Action-1992) कहा गया।

भारत सरकार के द्वारा सन् 1992 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 1986 के विभिन्न खण्डों में किए गए प्रमुख संशोधन निम्नवत् है-

- सम्पूर्ण भारत में +2 स्तर को स्कूल शिक्षा के अंग के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
- समग्र साक्षरता अभियान पर अधिक जोर दिया जाएगा।
- आवश्यकता व रुचि आधारित व्यावसायिक व कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया गया।
- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को निर्धनता निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, लघु परिवार, नारी समानता को प्रोत्साहन, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण, से जोड़ने पर जोर दिया गया।
- ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को अधिक व्यापक करके प्रत्येक स्कूल में तीन बड़े कमरे तथा तीन अध्यापक होंगे।
- ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर पर विस्तृत किया जाएगा।
- ड्रॉप आउट बच्चे, असमर्थ कामकाजी बच्चे तथा लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम को सुदृढ़ व विस्तृत किया जाएगा।
- 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा।

- मुक्त अधिगम प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सुदृढ़ किया जाएगा।
- जनसंख्या शिक्षा को जनसंख्या नियंत्रण के अन्तर्गत महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखा जाएगा।
- परीक्षा संस्थाओं के दिशा-निर्देश के रूप में राष्ट्रीय परीक्षा सुधार प्रारूप तैयार किया जाएगा।
- शिक्षा पर व्यय राष्ट्रीय आय के छः प्रतिशत से अधिक होने को सुनिश्चित किया जाएगा।

उपरोक्त वर्णित संशोधनों से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कोई बहुत क्रान्तिकारी परिवर्तन अथवा संशोधन न करके मात्र संकल्पों को अधिक व्यापक किया गया है तथा कुछ संकल्पों को अधिक दृढ़ किया गया।

कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992

1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के संकल्पों का संशोधन करके कार्यान्वयन कार्यक्रम— 1992 तैयार किया। इस संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को निम्नांकित 23 खण्डों में बाँटा गया। मुख्य खण्डों का नाम निम्नवत् है—

● नारी समानता के लिए शिक्षा	● अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा
● अल्पसंख्यकों की शिक्षा	● विकलांगों की शिक्षा
● प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा	● पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा
● प्रारम्भिक शिक्षा	● माध्यमिक शिक्षा
● नवोदय विद्यालय	● व्यावसायिक शिक्षा
● उच्च शिक्षा	● अध्यापक एवं प्रशिक्षण आदि।

प्रशिक्षु निम्नलिखित बिन्दुओं पर पुनरावृत्ति कराए

- सन् 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की समीक्षा की गई और आवश्यकतानुसार संशोधन किए गए एवं कार्यान्वयन कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसे कार्यान्वयन कार्यक्रम—1992 (Programme of Action-1992) कहा गया है।
- संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को 23 खण्डों में बाँटा गया।
- कार्यान्वयन कार्यक्रम—1992 में कई क्षेत्रों में संशोधन किए गए जैसे +2 स्तर की स्कूल शिक्षा के अंग के रूप स्वीकार करना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की उच्च प्राथमिक स्तर पर विस्तृत करना आदि।

यशपाल समिति (1992–93) Yashpal Committee

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1992 को 'स्कूल छात्रों के शैक्षिक बोझ कम करने के तरीके' सुझाने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष प्रो० यशपाल थे। समिति के अध्यक्ष के नाम पर इस राष्ट्रीय सलाहकार समिति को यशपाल समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति ने 15 जुलाई, 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे 'शिक्षा बिना बोझ के' (Education without burden) नामक शीर्षक दिया गया। इसमें अनेक महत्वपूर्ण संस्तुतियों की गई हैं, जो निम्नवत् हैं—

- पाठ्यक्रम निर्माण तथा पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने की प्रक्रिया विकेन्द्रीकृत होनी चाहिए ताकि इन कार्यों में शिक्षकों की सहभागिता में वृद्धि हो सकें।
- ग्राम, ब्लाक तथा जिला स्तर पर शिक्षा समितियों का गठन किया जाना चाहिए जिससे वे अपने कार्यक्षेत्र में स्कूलों के नियोजन तथा परीक्षण का कार्य कर सकें।
- पाठ्यपुस्तकों को स्कूल की सम्पत्ति समझा जाए। इस प्रकार बच्चों को व्यक्तिगत रूप से इन पुस्तकों को खरीदने तथा प्रतिदिन घर ले जाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए।
- गृहकार्य के लिए तथा स्कूल में पाठ्यपुस्तकों व अभ्यास पुस्तिकाओं के प्रयोग के लिए अलग से समय सारिणी बनाई जाए।
- प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कोई गृहकार्य न दिया जाए।
- बाल केन्द्रित सामाजिक वातावरण के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए।
- छात्रों, अध्यापकों तथा अभिभावकों के लिए शिक्षा दर्शन नामक एक नियमित दूरदर्शन कार्यक्रम शुरू किया जाए।
- प्राथमिक कक्षाओं के गणित पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाए तथा भाषा की पाठ्यपुस्तकों में स्थानीय व बोलचाल के मुहावरों को उचित स्थान दिया जाए।
- पाठ्यपुस्तकों में बच्चों के अनुभव तथा सामान्य जनजीवन प्रतिबिम्बित होना चाहिए। कठिन तथा बोझिल भाषा का प्रयोग न किया जाए—
- प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों में 'प्रयोग' करने को अधिक स्थान दिया जाए तथा अनावश्यक एवं महत्वहीन सामग्री को हटा दिया जाए।

यशपाल समिति के द्वारा दी गई संस्तुतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि समिति ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कुछ बुनियादी मुद्दों पर चिन्तन करके इस दिशा में एक नई दृष्टि दी है।

प्रशिक्षु निम्नलिखित बिन्दुओं पर पुनरावृत्ति कराए

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन 1992 में किया गया।
- प्रो० यशपाल इस समिति के अध्यक्ष थे।
- यशपाल समिति ने 15 जुलाई, 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें स्कूल छात्रों के 'शैक्षिक बोझ कम करने के तरीके' सुझाए गए।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत में अपनी सत्ता को चिरस्थायी बनाने के लिए शिक्षा के प्रति ध्यान देना शुरू किया। तत्पश्चात् ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा सम्बन्धी जो संस्तुतियाँ दी उससे भारत में प्राच्य-पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात करके भारतीय शिक्षा को नई दिशा में मोड़ा।

मैकॉले का विवरण पत्र, 1835 ने पाश्चात्य शिक्षा का सूत्रपात किया। मैकॉले शिक्षा द्वारा भारत में ऐसे लोगों को निर्माण करना चाहता था जो 'रंग रूप में तो भारतीय हो परन्तु वेशभूषा, बातचीत चिन्तन तथा विचारों में अंग्रेज हो।

वुड का आदेश पत्र- 1854 ने भारतीय शिक्षा की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव व सिफारिशें दी। आदेश पत्र में जनसाधारण की शिक्षा की सिफारिश की गई। जिसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन व्यय करना, प्रत्येक जिले में स्कूल की स्थापना करना तथा मेधावी और निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देना आदि है। आदेश पत्र में अंग्रेजी और देशी दोनों भाषाओं को शिक्षा का माध्यम निश्चित किया गया।

हण्टर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया और उसके प्रत्येक अंग जैसे नीति, संगठन, आर्थिक व्यवस्था, पाठ्य विषय, अध्यापकों के प्रशिक्षण आदि के विषय में अपने सुझाव सरकार के सामने प्रस्तुत किए।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात- भारत ने राष्ट्रीय विकास के नए युग में प्रवेश किया। इस युग में भारत के लक्ष्य हैं- निर्धनता दूर करना, कृषि का आधुनिकीकरण एवं उद्योगों का विकास करना, आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग और 14 वर्ष की अवस्था तक प्रत्येक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोठारी आयोग शिक्षा के परम्परागत स्वरूप के स्थान पर आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण स्थान दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का ढाँचा तैयार किया। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कहा गया कि एक निश्चित स्तर तक सभी छात्रों की जाति या लिंग के भेदभाव के बिना सभी को शिक्षा सुलभ हो। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली में एक समान शिक्षा संरचना समाहित है। 10+2+3 की शिक्षा संरचना को राष्ट्र के सभी भागों में स्वीकार किया जाए।

1992 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 की समीक्षा की गई और उसमें संशोधन किए गए जिसे कार्यान्वयन कार्यक्रम-1992 कहा गया।

यशपाल समिति (1992-93) ने अपनी रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा 'शिक्षा बिना बोझ के' प्रस्तुत की, जिसमें अनेक सुझाव दिए गए जैसे पाठ्य पुस्तकों को स्कूल की सम्पत्ति समझा जाए। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कोई गृहकार्य न दिया जाए तथा पाठ्यपुस्तकों में बच्चों के अनुभव तथा सामान्य जनजीवन प्रतिबिम्बित होना चाहिए। इस प्रकाश यशपाल समिति ने कुछ बुनियादी मुद्दों पर चिन्तन करके इस दिशा में एक नई दृष्टि दी।

अभ्यास प्रश्न

- "मैकॉले के विवरण पत्र" ने भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की।" वर्णन कीजिए।
- सन् 1854 के वुड के आदेश पत्र की शिक्षा सम्बन्धी सुझावों पर प्रकाश डालिए।
- सन् 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग की मुख्य सिफारिशें कौन सी थी और उन्होंने भारत में शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित किया ?
- शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग) की सिफारिशों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वे शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए कहाँ तक सहायक सिद्ध हो सकती है ?
- 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए।
- 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में क्या संशोधन किए गए ? संक्षेप में बताइए।
- 'शिक्षा बिना बोझ के' इस संदर्भ में यशपाल समिति के सुझावों का वर्णन कीजिए।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 विद्यालयी शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रो० यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और इक्कीस राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। इन समूहों के माध्यम से देश के हर हिस्से में संगोष्ठियों, विचार-विमर्श एवं बड़ी तादात में प्राप्त लोगों की प्रति क्रियाओं पर चिन्तन करते हुए राष्ट्रीय संचालन समिति ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसमें 5 अध्याय हैं।

- प्रथम अध्याय— “परिप्रेक्ष्य”
- द्वितीय अध्याय “सीखना और ज्ञान”
- तृतीय अध्याय “पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएँ और आकलन”
- चतुर्थ अध्याय “विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण”
- पंचम अध्याय “व्यवस्थागत सुधार”

मार्गदर्शी सिद्धान्त

1. ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाय।
2. पढ़ाई को रटन्त प्रणाली से मुक्त किया जाय।
3. पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केन्द्रित न रह जाय।
4. कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाय।
5. राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों।

प्रमुख सुझाव

1. शिक्षण सूत्रों जैसे—ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो।
2. सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाय।
3. विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है।
4. मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वरन् वातावरण देकर स्थापित किया जाय।
5. अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है अर्थात् अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्क पूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है।
6. अभिभावकों को सख्त सन्देश दिया जाय कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है।
7. बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनावमुक्त वातावरण प्रदान करना।

8. 'कक्षा में शान्ति' का नियम बार-बार ठीक नहीं अर्थात् जीवन्त कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
9. सहशैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाय।
10. समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें।
11. खेल आनन्द व सामूहिकता की भावना के लिए है, रिकार्ड बनाने व तोड़ने की भावना को प्रश्रय न दें।
12. बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृ भाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में इसका उपयोग करें।
13. पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें।
14. वे पाठ्यपुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं जो अन्तःक्रिया का मौका देती हैं।
15. कल्पना व मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करावें।
16. सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग करना चाहिए।
17. बच्चों के अनुभव और स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केन्द्रित शिक्षा प्रदान की जाय।
18. सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौन्दर्यबोध को प्रश्रय दें।
19. शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाय।
20. शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुँचाये जायें।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 के अध्याय तीन में स्कूली पाठ्यचर्या के चार सुपरिचित क्षेत्रों-भाषा, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है जो निम्न प्रकार है:-

भाषा

- लिखने-बोलने सुनने एवं पढ़ने की भाषिक क्षमतायें स्कूल के सभी विषयों और अनुशासनों के शिक्षण से विकसित होती है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक बच्चों के ज्ञान निर्माण में उनके बुनियादी महत्व को समझना आवश्यक है।
- त्रिभाषा फॉर्मूले को पुनः लागू किए जाने की जरूरत है।
- अंग्रेजी को अन्य भारतीय भाषाओं के बीच स्थान दिए जाने की आवश्यकता है।
- भारतीय समाज के बहुभाषात्मक प्रवृत्ति को स्कूली जीवन की समृद्धि के लिए संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए।

गणित

- गणित-शिक्षण का मुख्य लक्ष्य गणितीकरण (तार्किक ढंग से सोचने, अमूर्तनों का निर्माण करने तथा संचालित करने की योग्यताओं का विकास) होना चाहिए न कि गणित का ज्ञान (औपचारिक एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं का ज्ञान)।
- तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता।

- गणित की शिक्षा से बच्चों की तर्क, सोचने की, अमूर्तनों के निर्माण तथा दृष्टिकरण की क्षमताओं एवं बच्चों में समस्या सुलझानों की क्षमता का विकास हो। गणित की बेहतर शिक्षा का हक हर बच्चे को है।

विज्ञान

- विज्ञान की भाषा प्रक्रिया एवं विषयवस्तु विद्यार्थी की उम्र और उसकी ज्ञान की सीमा के अनुकूल होनी चाहिए।
- विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को उन तरीकों एवं प्रक्रियाओं का बोध कराने में सक्षम होना चाहिए जो उनकी रचनात्मकता और जिज्ञासा को संपोषित करने वाली हो, विशेषकर पर्यावरण के संदर्भ में।
- पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए।

सामाजिक विज्ञान

- सामाजिक विज्ञान की विषयवस्तु में अवधारणात्मक समझ पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है बजाए इसके कि बच्चों के सामने परीक्षा के लिए रटने वाली सामग्री का अंबार खड़ा कर दिया जाए। इससे उनमें सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र तथा आलोचनात्मक रूप से सोचने का अवसर मिलेगा।
- प्रमुख राष्ट्रीय चिंताओं जैसे—लैंगिक न्याय, मानव अधिकार और हाशिए के समूहों तथा अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता को विकसित किये जाने के लिए अंतःअनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है।
- नागरिक शास्त्र को राजनीति शास्त्र में तब्दील कर दिया जाए तथा इतिहास को बच्चे की अतीत तथा नागरिकता की पहचान की अवधारण पर प्रभाव डालने वाले विषय के रूप में पहचाना जाए।

अन्ततः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 स्कूली व्यवस्था और दूसरे नागरिक समूहों के बीच सहभागिता की सिफारिश करता है जिनमें गैर-सरकारी संगठन और शिक्षक संगठन शामिल हैं। पहले से ही मौजूद नवाचारों के अनुभवों को मुख्य धार का स्वरूप देने की जरूरत है। आज जरूरत इस बात की है कि आरंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण में निहित चुनौतियों के प्रति सजगता को राज्य और बच्चों को लेकर काम कर रही सारी एजेंसियों के बीच एक व्यापक सहभागिता का विषय बनाया जाए और पहले से मौजूद नवाचारों के अनुभवों को मुख्यधारा में लाया जाए।

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे।
(अ) श्री रोहित धनकर (ब) प्रो० यशपाल
(स) डॉ० मीना स्वामीनाथन (द) प्रो० गोपाल गुरु
2. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कितने अध्याय में विभक्त है।
(अ) चार (ब) छः
(स) पाँच (द) सात
3. प्रथम अध्याय का शीर्षक है।
(अ) परिप्रेक्ष्य (ब) सीखना और ज्ञान
(स) विद्यालय और कक्षा का वातावरण (द) व्यवस्थागत सुधार

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

1. राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे ?
2. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में दूसरे अध्याय का शीर्षक क्या है ?

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

1. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु दिए गए सुझावों का वर्णन कीजिए।
2. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भाषा, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान के लिए क्या सुझाव दिए गए।

शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2009

स्वतंत्रता के बाद भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। साक्षरता दर, बुनयादी ढाँचा और विद्यालय के वातावरण में निरन्तर सुधार हो रहा है। 'निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009' भारत की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में उठाया गया अत्यन्त दूरगामी कदम है। इससे देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन अपेक्षित है। इसके लागू होने से हमारी शिक्षा व्यवस्था के समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। इस परिस्थितियों में विद्यालय में योग्य शिक्षकों की मांग अत्यधिक बढ़ा दी है।

'शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2009' शिक्षक शिक्षा हेतु नवीनतम दस्तावेज है। इसका मुख्य उद्देश्य योग्य, पेशेवर और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षकों को तैयार करना है। इस दस्तावेज में शिक्षक शिक्षा हेतु प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं-

1. शिक्षक- प्रशिक्षण के दौरान मूल्यों के विकास पर जोर दिया जाय। मूल्यों के विकास में प्रयोगात्मक और क्रियात्मक तकनीकी को समाहित करने की आवश्यकता है।
2. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक जानकारी दिया जाना चाहिए। इससे वे भविष्य में अपने ज्ञान को अद्यतन रख सकेंगे।
3. प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को यह बताना चाहिए कि शिक्षण सामग्री को ऑडियो-वीडियो रूप में कैसे परिवर्तित किया जाय। ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे वे स्वतन्त्र रूप से इस विद्या स्वयं सीख सकें। इस विधा से पठन-पाठन को मनोरंजक बनाया जा सकता है।
4. समय-समय पर शिक्षकों को दृष्टिकोण विकसित करने से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रक्रिया पर जोर दिया जाना आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को बच्चों के प्रति समझ, शिक्षकों के प्रति समझ, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों के प्रति समझ, मूल्यांकन की समझ, एवं विद्यालय के प्रति समझ से सम्बन्धित दृष्टिकोण (विजन) विकसित करने के लिए प्रशिक्षण सामग्री का समाहित किया जाना आवश्यक है।
5. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, सामाजिक विषय एवं विज्ञान विषयों के पाठ्यक्रम भी शामिल किए जाय।
6. प्रशिक्षुओं के पाठ्यक्रम में बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के आंकलन से सम्बन्धित प्रशिक्षण सामग्री को समाहित करने की आवश्यकता है।
7. प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे- प्रश्नपत्र निर्माण, पाठ्यपुस्तक विश्लेषण, मूल्यांकन प्रक्रिया आदि के संदर्भ में क्रियात्मक/ प्रायोगिक कार्य पर विशेष जोर देना चाहिए।
8. प्रशिक्षण के दौरान इण्टर्नशिप से सम्बन्धित क्रियाकलापों को प्रायोगिक रूप से किए जाने की आवश्यकता है।

9. सैद्धान्तिक प्रश्न-पत्र की विषयवस्तु अन्तर्क्रियात्मक एवं कक्षा में सीखने-सिखाने से संदर्भित होनी चाहिए। प्रशिक्षण सामग्री विकसित करते समय विषय-वस्तु को अन्तर्क्रियात्मक एवं व्यावहारिक रूप प्रदान करने की आवश्यकता है।
10. 'टीचर लर्निंग सेन्टर' की स्थापना की जाए, जहाँ सेवापूर्व एवं सेवारत शिक्षक बच्चों को शिक्षण के संदर्भ में व्यावहारिक/प्रयोगात्मक कार्य करके अपना व्यावसायिक विकास कर सकें।
11. प्रशिक्षुओं के लिए 'पूर्व बाल्यावस्था शिक्षण की तकनीकी' पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।
12. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को अनौपचारिक/प्रौढ़ शिक्षा विषयक प्रशिक्षण तकनीकी पर प्रशिक्षित किया जाए।
13. 10+ 2 स्तर के बार चार या पाँच वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स होना चाहिए।
14. विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समेकित रूप से शिक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विकलांग बच्चों के प्रति समझ एवं पहचान से सम्बन्धित विषय सामग्री तैयार की जाए। सेवारत शिक्षकों को विकलांग बच्चों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जाय।
15. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिए जाए।

अभ्यास प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर—
(क) बढ़ी है। (ख) घटी है। (ग) स्थिर है। (घ) उपरोक्त में कोई नहीं।
2. 'निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम' किस वर्ष बना—
(क) सन् 2000 में (ख) सन् 2005 में (ग) सन् 2009 में (घ) सन् 2014 में
3. 'एन0सी0एफ0टी0ई0' में 10 + 2 के बाद कितने वर्ष के प्रशिक्षण की चर्चा है —
(क) 1 वर्ष (ख) 2 वर्ष (ग) 4 या 5 वर्ष (घ) 10 वर्ष

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

1. शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन0सी0एफ0टी0ई0) के प्रमुख सुझावों का वर्णन करें।

प्रारम्भिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं (उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में)

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना (OB)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए विद्यालय में बच्चों के हास एवं अवरोध की समस्या को कम करने के उद्देश्य से शैक्षिक वातावरण को पर्याप्त समुन्नत बनाने एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया। विद्यालयों के अनाकर्षक वातावरण, अरुचिकर पाठ्यक्रम, अपर्याप्त भवनों पाठ्य सामग्री एवं खेल सामग्री आदि में सुधार लाने की दृष्टि से राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा अनेक प्रयास किये गए। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन् 1986 की कार्य योजना में आपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाने की संकल्पना की गयी।

आपरेशन से तात्पर्य यह है कि युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर किसी कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करना। ब्लैक बोर्ड विद्यालयों में आवश्यक उपकरणों का प्रतीक है।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्य है। इसके निम्नलिखित लक्ष्य रखे गये—

आपरेशन ब्लैक बोर्ड में दी गई अन्य सुविधाएँ

- दो बड़े पक्के कमरे, जिनमें सामने बरामदा हो।
- कम से कम दो अध्यापकों की नियुक्ति जिनमें यथा सम्भव एक महिला होगी।
- विद्यालय एवं कक्षा-कक्ष को आकर्षक बनाया गया।
- बालकेन्द्रित एवं कार्यकलाप आधारित शिक्षण-अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया।
- विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन अध्यापकों एवं शिक्षण सामग्री के सम्बन्ध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया।
- अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया के लिये न्यूनतम मदों का उल्लेख किया गया।
- प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्यसे आपूर्ति किये जाने वाले प्रत्येक मद के मानक तथा उसकी विशिष्टताएँ निर्धारित की गईं।

प्रमुख शिक्षण बिन्दु

- प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 कमरे बरामदा सहित वाले भवन उपलब्ध कराये जायें।
- शिक्षक उपकरण
- कक्षा शिक्षण सामग्री
- खेल सामग्री एवं खिलौने
- प्राथमिक विज्ञान किट
- लघु औजार किट
- टू-इन-वन आडियो उपकरण
- पुस्तकालय के लिए पुस्तकें
- विद्यालय की घंटी, चाक, झाड़न तथा कूड़ादान
- वाद्य-यन्त्र, ढोलक, तबला, मजीरा तथा हारमोनियम
- श्यामपट्ट तथा फर्नीचर
- शिक्षक के पास आकस्मिक व्यय के लिए धन
- प्रसाधन-छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग
- पेयजल व्यवस्था

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को सन् 1987-88 में लागू किया गया। वर्ष 1992 में इस योजना क्रियान्वयन का मूल्यांकन करके निम्नलिखित संशोधन किये गये:-

- वर्तमान आपरेशन ब्लैक बोर्ड (OB) योजना को शेष सभी विद्यालयों विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति के क्षेत्रों के विद्यालयों में जारी रखा जाय।
- नामांकित बच्चों के आधार पर जहाँ आवश्यक हो उन प्राथमिक विद्यालयों में 3 अध्यापकों एवं 3 कमरों की व्यवस्था की जाय।
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक आपरेशन ब्लैक बोर्ड (OB) योजना का विस्तार किया जाय।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएँ

आपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएँ

- विद्यालय एवं कक्षा कक्षों को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया।
- छात्र केन्द्रित एवं कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया।
- विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों एवं शिक्षण सामग्री के सम्बन्धमें स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया।
- अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया के लिये न्यूनतम मदों का उल्लेख किया गया।
- प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाये रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किये जाने वाले प्रत्येक मद के मानक तथा उसकी विशिष्टताएँ निर्धारित की गयी।

बोध प्रश्न

- आपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना संचालित किए जाने का क्या उद्देश्य था?
-
-
-
- आपरेशन ब्लैक बोर्ड (OB) योजना कब लागू किया गया ?
-
-
-

सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली, 1986 का यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। इसके लिए प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण दो भागों में किया गया।

- प्राथमिक शिक्षकों के लिए।
- माध्यमिक शिक्षकों के लिए।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देने के उपरान्त वर्ष 1990 के लिए विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम (पीमोस्ट सामान्य) की पी-मोस्ट ब्लैक बोर्ड में परिवर्तन कर देने का निर्माण लिया गया। निर्णय के अनुसार एक नई प्रशिक्षण सामग्री की संरचना की बात कही गई जिसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री के समुचित प्रयोग की विधि सिखाई जा सके। अध्यापकों हेतु अभिविन्यास कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई।

- विद्यालय तथा कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया।
- बालकेन्द्रित शिक्षा तथा कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया।
- विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों एवं प्रशिक्षण सामग्री के सम्बन्ध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया।
- अध्ययन- अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख किया गया।

प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाये रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किये जाने वाले प्रत्येक मद के मानक तथा उसकी विशिष्टताएँ निर्धारित की गयीं।

पुनरावृत्ति

- आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में कमरों, पाठ्यसामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना था।
- पी-मोस्ट कार्यक्रम में विद्यालयों के अध्यापकों के विस्तृत एवं सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।

पी-मोस्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था ?

.....
.....

प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही प्रायोजित योजना को SOPT के नाम से जाना जाता है। शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त इस योजना के क्रियान्वयन, संगठन, प्रबन्ध तथा अनुरीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इस समय NCERT का अध्यापक शिक्षा एवं विशेष शिक्षा विभाग अपने अन्य सम्बन्धित विभागों जैसे—विद्यालय पूर्व एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग अपने सम्बन्धित विभाग केन्द्रिय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा मैसूर एवं अन्य क्षेत्रीय सलाहकारों के सहयोग से इस कार्यक्रम का संयोजक करता है। इस योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में वर्ष 1993-94 से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतिवर्ष 4.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य लेकर यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।

प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम की प्रशिक्षण विधि एवं लक्ष्य इस कार्यक्रम के उद्देश्य थे

उद्देश्य

- NCERT सन् 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में चर्चित न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल देना।
- आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की दक्षता का विकास करना।
- अध्यापकों को, छात्र-छात्राओं को केन्द्रित अधिगम अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना।
- कौशल तथा क्रियाकलाप केन्द्रित शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना।

प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम की प्रशिक्षण सामग्री

इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य प्राथमिक कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा निम्नलिखित मॉड्यूल्स विषयों की चर्चा करना –

- आपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना।
- न्यूनतम अधिगम स्तर संकल्पना एवं प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की भूमिका।
- प्राथमिक स्तर पर व्यापक और सतत् मूल्यांकन।
- बच्चों में विद्यालय तत्परता का विकास, मार्गदशक सिद्धान्त और क्रियाकलाप।
- प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए विद्यालयों में वातावरण निर्माण।
- विशेष समूहों की शिक्षा।
- छात्राओं की शिक्षा में अध्यापकों की भूमिका।

- मूल्यों की शिक्षा।
- बहुश्रेणी शिक्षण।

पुनरावृत्ति

- SOPT कार्यक्रम का पूरा नाम " प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम है"।
- SOPT के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में वर्ष 1993-94 में प्राथमिक विद्यालयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये गये।
- SOPT में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत दी गयी शिक्षण अधिगम सामग्री के समुचित उपयोग करने की दक्षता का प्रशिक्षण दिया गया।

बोध प्रश्न

- SOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई ?

.....

.....

.....

- SOPT कार्यक्रम संचालित करने के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखिए ?

.....

.....

.....

बेसिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य सार्वजनीकरण के नामांकन, शिक्षा के अवधि की पूर्णता तथा शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाना। राज्य जनपद तथा ग्राम स्तर की संस्थाओं का स्थायीकरण ही उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। शैक्षिक नियोजन तथा प्रबन्धन का विकेन्द्रीकरण तथा उनकी प्रभावकारिता में वृद्धि करना ही इस परियोजना का महत्वपूर्ण अंग था। उ0प्र0 बेसिक शिक्षा 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावी था।

बेसिक शिक्षा परियोजना के तीन अंग थे –

- संस्थागत क्षमता में वृद्धि।
- गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता।
- बेसिक शिक्षा तक पहुँच में सुधार।

1. संस्थागत क्षमता में वृद्धि— इसके अन्तर्गत राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तरों पर नियोजन एवं प्रबन्धन सहयोग प्रदान करने वाली इकाइयों की स्थापना करके पूरे राज्य के 6–14 वर्ष के शत-प्रतिशत बालकों का नामांकन समुचित शिक्षा के लिए सभी विद्यालयी सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबन्ध करना था। सक्रिय सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना प्रमुख आयाम था।

2. गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता— इसके अन्तर्गत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों का संशोधन करना, शिक्षकों को सुविचारित प्रशिक्षण प्रदान करना। नवाचार एवं संकल्पनाओं से परिचित कराना, अविकसित छात्रों एवं छात्राओं की शिक्षा की व्यवस्था करना तथा नियमित अनुश्रवण एवं सतत् मूल्यांकन सम्मिलित था।

3. बेसिक शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना— इसके अन्तर्गत जनपदों में बेसिक शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से असेवित क्षेत्रों में प्रारम्भिक विद्यालयों की स्थापना तथा शिक्षा केन्द्रों को संचालित करना इसका लक्ष्य था तथा समाज के विशिष्ट वर्ग के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना ही मुख्य उद्देश्य था।

बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य

- 1. विद्यालय सुलभ करना—** इस परियोजना के अन्तर्गत 300 की आबादी तथा डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों को खोलना शामिल किया गया।
- 2. नामांकन—** वर्ष 2000 तक 6 से 11 वयवर्ग के सभी बालक/बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन कराना।
- 3. उपलब्धि प्राप्त करना—** वर्ष 2000 तक विद्यालयों में नामांकित बच्चों में न्यूनतम अधिकतम स्तर की दक्षताएँ विकसित करना।

4. **सतत् शिक्षा**— लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत् शिक्षा की सुविधा प्रदान करना।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना अथवा उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना के मूलतः दो कार्य थे।

1. **प्रबन्धकीय व्यवस्था**— प्रबन्धकीय व्यवस्था के लिये राज्य स्तर पर राज्य परियोजना परिषद, जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक शिक्षा समिति तथा ग्रामीण स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया।

2. **अकादमिक व्यवस्था**— प्रबन्धकीय व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट), जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0) तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0) की स्थापना की गई थी।

बेसिक शिक्षा परियोजना के कार्य तथा क्रियान्वयन

बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रस्तावित प्रमुख कार्य तथा उनका क्रियान्वयन की स्थिति निम्नवत थी।

- राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का सुदृढीकरण के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों सामग्री निर्माण, मूल्यांकन, तकनीकी तथा दक्षताओं का विकास किया जाना प्रस्तावित की गई।

- राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत शैक्षिक प्रबन्धन में पुष्टिकरण को दृष्टिगत रखते हुए एक अलग संस्थान की स्थापना की गई।

- प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के अन्तर्गत जनपद में शिक्षा की गणवत्ता का उन्नयन, उसकी दक्षता का विकास, उसका अनुश्रवण एवं सतत मूल्यांकन करने के उद्देश्य से डायट की स्थापना की गयी। इन संस्थाओं पर नयी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को विकसित करने का दायित्व सौंपा गया।

- विकास खण्ड तथा न्यायपंचायत के अन्तर्गत सूक्ष्म योजना का सूक्ष्म स्तर तक कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विकास, खण्ड एवं न्यायपंचायत स्तर पर शैक्षिक सन्दर्भ केन्द्र के रूप में संचालित की गई।

प्रमुख शिक्षण बिन्दु

- राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का सुदृढीकरण
- राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना
- प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना
- विकासखण्ड तथा न्यायपंचायत सन्दर्भ केन्द्र
- सम्प्राप्ति में सुधार
- नवीन मूल्यांकन तकनीकी तथा प्रविधियों का विकास
- बालिका शिक्षा की व्यवस्था
- नवाचार कार्यक्रमों का संचालन

- सम्प्राप्ति के अन्तर्गत पाठ्यक्रम अध्ययन सामग्री का निर्माण तथा शिक्षण अधिगम का निर्माण प्रस्तावित है, जो अधिगम सम्प्राप्ति में गुणवत्ता लाने में महत्वपूर्ण हैं।
- नवीन मूल्यांकन तकनीकी प्रविधियों के विकास योजना को कार्यान्वयन के पूर्व शैक्षिक सम्प्राप्ति की जानकारी के लिए आधार लाइन सर्वेक्षण, तथा सतत मूल्यांकन व्यवस्था, क्रमोत्तर एवं विकास की व्यवस्था करना।
- बालिका शिक्षा के अन्तर्गत छात्राओं के शत-प्रतिशत नामांकन तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा केन्द्रों की स्थापना शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, बालिका शिक्षा के उन्नयन के क्रम में एक प्रयास था।
- नवाचार कार्यक्रमों का संचालन विद्यालयों में कार्यानुभव एवं विशिष्ट बालकों की शिक्षा योजना प्रस्तावित की गई।

पुनरावृत्ति

- उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना मुख्यतः बेसिक शिक्षा के समग्र नामांकन एवं गुणात्मक उन्नयन हेतु संचालित की गई।
- बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय सुलभ कराना, बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराना, शिक्षा में उपलब्धि स्तर बढ़ाना।

बोध प्रश्न

- उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे?

.....

.....

.....

.....

.....

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992 के अनुसरण में शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने के उद्देश्य से “ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम” 1994 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम को विश्व बैंक की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। डी0पी0ई0पी0 का लक्ष्य सभी को शिक्षा दिलाना, बच्चों को स्कूलों में बनाये रखना, शिक्षा के स्तर में सुधार करना तथा समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता कम करके साथ-साथ काम करना था। यह कार्यक्रम जनपद विशेष का कार्यक्रम था। जनपद की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए 5 वर्षों का अपना लक्ष्य तय करना एवं अपने वार्षिक कार्य योजना एवं बजट से प्रत्येक वर्ष का लक्ष्य निर्धारित करना जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताएं थी। शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उद्देश्यों से जनपदों में विशेष आवश्यकताओं पर बल दिया गया इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण, सामुदायिक सहभागिता, बालिका शिक्षा वैकल्पिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया तथा इन पाँच क्षेत्रों में जिला समन्वयकों की नियुक्ति भी की गयी। इस कार्यक्रम से प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में सफलता प्राप्त हुई।

प्रमुख शिक्षण बिन्दु

- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य
- विभिन्न चरणों में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन
- इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु अपनायी गयी प्रमुख रणनीतियाँ

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तीन चरणों में सम्पादित हुआ प्रथम चरण में देश के 7 राज्यों के 42 जनपदों में संचालित किया गया। सम्बन्धित राज्य हैं— मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तथा केरल डी0पी0ई0पी0 के द्वितीय चरण में उत्तर प्रदेश तथा कार्यक्रम में पहले से भाग ले रहे 7 राज्यों के 50—60 जनपदों में कार्यक्रम का विस्तार किया गया। इसके अतिरिक्त तीन नये राज्यों गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में भी कार्यक्रम का विस्तार किया गया।

इस परियोजना कार्यक्रम में आच्छाछित राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के सुव्यवस्थित विकास के लिए राज्य, जनपद तथा विकास खण्ड स्तर पर प्रबन्धकीय तथा व्यवसायिक क्षमता का विकास किया गया जिनके द्वारा ऐसे क्रियाकलापों पर विशेष बल दिया गया जो प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच को सरल बनाने, हास को कम करने तथा अधिगम सम्प्राप्तियों में सुधार लाने के उद्देश्य से आयोजित किये गये।

वर्ष 1997 में डी0पी0ई0पी0 द्वितीय के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों की पहचान की गई। इनका चयन राष्ट्रीय महिला साक्षरता की अपेक्षा निम्न महिला साक्षरता के आधार पर किया गया। ये जनपद हैं— बरेली, सोनभद्र, ललितपुर, बलरामपुर, जे0पी0नगर, संत कबीर नगर, रामपुर, बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती फिरोजाबाद, हरदोई, देवरिया, बस्ती, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत लखीमपुर, गोण्डा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बदायूँ।

प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना तथा डी0पी0ई0पी0 द्वितीय के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए डी0पी0ई0पी0 तृतीय की शुरुआत सन् 2000 में की गयी तथा इससे आच्छादित 32 जनपद हैं— कुशीनगर, प्रतापगढ़, हमीरपुर, महोबा, आजमगढ़, रायबरेली फैजाबाद, आगरा, बिजनौर, फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मथुरा, एटा, झाँसी, मैनपुरी, जालौन, फरुखाबाद, कन्नौज, मऊ, मिर्जापुर, सुल्तानपुर,

उन्नाव, गाजीपुर, अम्बेडकरनगर, बलिया, बुलन्दरशहर, गाजियाबाद, मेरठ, गौतमबुद्धनगर, जौनपुर, बागपत, कानपुर देहात।

परियोजना के अन्तर्गत तीन प्रमुख पक्षों पर विशेष बल दिया गया।

1. भवन तथा संस्थागत क्षमता का सुदृढीकरण
2. गुणवत्ता में सुधार, सम्प्राप्ति ह्रास में कमी लाना
3. प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच का विस्तार करना।

इसे भी जाने

डी0पी0ई0पी0 परियोजना के प्रारम्भ में परियोजना की समयबद्ध प्रगति का प्रभावी मूल्यांकन तथा अनुश्रवण के लिए **फाइनेंस स्टडी, सोशल एसेसमेन्ट** जैसे अध्ययन संचालित किये गये।

डी0पी0ई0पी0 के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रमुख रणनीतियों अपनायी गयी।

- योजना निर्माण तथा क्रियान्वयन में निचले स्तर तक सहभागिता
- बालिका शिक्षा को विशेष महत्व
- विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल
- वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढीकरण
- सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल
- अध्यापक दक्षता में वृद्धि

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अधीन राज्य स्तर पर गठित राज्य परियोजना परिषद को राज्य परियोजना कार्यालय के रूप में कार्यक्रम के क्रियान्वयन का दायित्व सौंपा गया तथा शैक्षिक/अकादमिक प्रबंधन दायित्वों का सफल निर्वहन राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) द्वारा किया गया।

अभ्यास प्रश्न

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कितने चरणों में आयोजित किया गया तथा इसके अन्तर्गत किन-किन राज्यों/जिलों को सम्मिलित किया गया ?
2. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनाई गई प्रमुख रणनीतियों का वर्णन करें।

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. डी०पी०ई०पी०द्वितीय में चयनित जिले कौन-कौन से हैं।
2. डी०पी०ई०पी० परियोजना के अन्तर्गत किन प्रमुख पक्षों पर विशेष बल दिया गया।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

डी०पी०ई०पी० परियोजना के क्रियान्वयन का दायित्व राज्य स्तर पर किसे सौंपा गया।

विद्यालय शिक्षा की तैयारी (स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम)

पूर्व प्राथमिक केन्द्र अथवा नर्सरी विद्यालय में शिक्षा पाकर आये बच्चे तथा आँगनबाड़ी अथवा बालवाड़ी केन्द्र अथवा नर्सरी स्कूल से आये बच्चे अपेक्षाकृत सीधे कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों से जल्दी सीख लेते हैं। सीधे कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है क्योंकि वे इसके लिये तैयार नहीं होते। ऐसे बच्चों में शिक्षा के प्रति अरुचि उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है। कभी-कभी विशेषकर ऐसे बच्चे जो अन्य बच्चों के साथ नहीं चल पाते और उन्हें असफलता की अनुभूति होती है, वे हतोत्साहित होकर विद्यालय छोड़ देते हैं। ऐसे ही बच्चों की समस्याओं को ध्यान में रखकर विद्यालयोन्मुखी (स्कूल रेडीनेस) कार्यक्रम तैयार किया गया। इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम भी कहते हैं।

प्रमुख शिक्षण बिन्दु

- विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम की संकल्पना
- विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र

विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम की संकल्पना

विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम अर्थात् वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों। प्रारम्भ में इस कार्यक्रम का प्रारूप अन्तरराष्ट्रीय बाल वर्ष में राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से उन बच्चों को दृष्टि में रखकर बनाया गया जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश लेते हैं। कक्षा 1 से पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उन्हें किसी प्रकार का अनुभव नहीं प्राप्त होता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 1 के प्रारम्भिक छः सप्ताह से दो माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिये जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है इसलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी कहते हैं। इस प्रोग्राम के द्वारा बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात ही मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है ताकि वे कक्षा 1 की विषयवस्तु को आसानी से सीख सकें। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम सीमित संसाधनों में ही प्राथमिक विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों एवं लाभों को प्राप्त करने का एक व्यवहारिक साधन है। इसके द्वारा छात्र को विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद प्रारम्भ के दिनों में इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है कि जिससे वह विद्यालय के सामाजिक परिवेश को भली-भाँति समझ सके और अपनी शक्तियों का समुचित विकास कर सके।

सभी बच्चों की कक्षा 1 से पूर्व की तैयारी करा देने से उनके समय और श्रम का सही उपयोग होता है और उसका प्रभाव निश्चित रूप से उनकी उपलब्धि पर पड़ता है। बच्चों की सीखने की गति तेज होती है। नयी-नयी बातें सीखने से बच्चों को सफलता की अनुभूति होती है और उनका आत्मविश्वास सुदृढ़ होता है। ऐसे बच्चों से विद्यालय, घर तथा समाज का अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता मिलती है।

विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का क्षेत्र

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षक द्वारा कक्षा 1 में प्रारम्भ के डेढ़-दो माह तक ऐसी रोचक और शैक्षिक क्रियाएं करायी जाती हैं, जिससे बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों और वे निम्नांकित क्षेत्रों में तैयार हों:-

1. वैयक्तिक और सामाजिक तैयारी – इसके अन्तर्गत बच्चों में निम्नलिखित विधाओं का विकास करना होता है-

- घर से दूर रहने पर सुरक्षा की भावना विकसित हो।
- बच्चों में स्वस्थ आदतों का विकास हो।
- आपस में मिल-जुलकर काम करने की भावना का विकास हो।
- अपनी बारी की धैर्य से प्रतीक्षा करना सीखें।
- दूसरों का सम्मान करना सीखें।
- स्वयं की तथा सार्वजनिक वस्तुओं की सुरक्षा करना सीखें।
- व्यक्तिगत तथा परिवेश की स्वच्छता के प्रति जागरूक हों।

2. शैक्षिक तैयारी– इसके अन्तर्गत बच्चों के मानसिक स्तर में वृद्धि का प्रयास किया जाता है ताकि बच्चा सीख सके-

- ध्वनि विभेदीकरण अर्थात् विभिन्न ध्वनियों में भेद करना।
- ध्वनि और दृश्य में साहचर्य स्थापित करना।
- शब्द भण्डार में वृद्धि तथा मौखिक अभिव्यक्ति करना।
- किसी बात पर पर्याप्त समय तक ध्यान देना।
- बायें से दायें देखना।
- पुस्तकों का सही ढंग से प्रयोग करना।
- आँख और हाथ में सामंजस्य हेतु अभ्यास करना।
- अक्षरों के आकारों को पहचानना।

3. संज्ञानात्मक कौशलों का विकास

विभिन्न क्रियाओं द्वारा बच्चों में मानसिक कौशलों, सम्बोधों तथा मानसिक शक्तियों के विकास हेतु प्रयास किया जाता है।

4. मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप एवं सृजनात्मकता का विकास

इसके अन्तर्गत नाचना, गाना, खेल, शाब्दिक और अशाब्दिक भाषा कौशल से सम्बन्धित क्रियाओं का अभ्यास कराया जाता है जैसे कागज, मिट्टी, कपड़े की कतरनों, व्यर्थ की वस्तुओं, बीज, फूल, पत्ती, रंग आदि से नमूना अथवा वस्तु बनाने की क्रिया।

अभ्यास प्रश्न

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम (स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम) क्यों आवश्यक है। विस्तार से चर्चा करें?

लघु उत्तरीय प्रश्न

2. विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम में किन-किन बिन्दुओं पर विशेष बल दिया जाता है?

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

3. विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है?

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान

5 मई सन् 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना एक सामाजिक तथा प्रौद्योगिकी के रूप में राष्ट्र स्तर पर की गई थी। जिसका उद्देश्य वर्ष 2007 तक साक्षरता का 75% न्यूनतम स्तर प्राप्त करना है। मिशन में वर्ष 1995 तक 8 करोड़ निरक्षर प्रौढ़ों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राज्य स्तर पर भी अनुरूप राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया।

देश में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत संचालित सम्पूर्ण साक्षरता अभियान (प्रौढ़ शिक्षा) की सफलता से यह तथ्य सामने आया कि सम्पूर्ण साक्षरता की प्राप्ति कठिन है किन्तु असम्भव नहीं।

प्रमुख शिक्षण बिन्दु

- सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के उद्देश्य
- सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की विशेषताएं
- कार्यक्रम संचालन में उत्तरदायी अभिकरण

16 जनवरी 1989 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम केरल राज्य में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई।

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की विशेषताएं

1. इस अभियान की सफलता पूर्णतया जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित थी।
3. यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थाओं/व्यक्तियों के आपसी सहयोग से सम्पन्न हुई।
4. सम्पूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई।
5. इस कार्यक्रम में बाह्य लक्ष्यों को सम्मिलित नहीं किया गया अपितु लक्ष्यों की पूर्ति स्थानीय स्तर पर सर्वे कराकर सम्पन्न की गई।

कार्यक्रम संचालन में उत्तरदायी अभिकरण

- **जिला शिक्षा समितियाँ**— सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का संचालन सामान्यतया जिला साक्षरता समितियों द्वारा किया जाता है। इस समिति की साधारण सभा के अध्यक्ष प्रभारी मण्डलीय मंत्री तथा समिति की कार्यकारिणी के सभापति जिलाधिकारी होते हैं।
- **स्वैच्छिक संगठन**— स्वैच्छिक संगठन भी जिला शिक्षा समिति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। स्वैच्छिक संगठनों को क्षेत्रीय जनता का शत-प्रतिशत तथा प्रशासनिक लागत का 75 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है।
- **अन्य अभिकरण**— सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन में अन्य अभिकरण जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्रमिक विद्यापीठ एवं नेहरू युवा केन्द्र संगठन आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की उपलब्धियाँ

साक्षरता अभियानों से समाज में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में सहायता मिलती है और ये वैज्ञानिक अभिरुचित या भारतकी महान गंगा-जमुनी संस्कृति और अनेकता में एकता के बारे में जागरुकता उत्पन्न करने में सहायक रहे हैं।

वर्ष 2001 से साक्षरता दर 65.38 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि 1991 में 52.21 प्रतिशत थी। 31 मार्च 2010 तक 10,229 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया। स्त्री साक्षरता दर में पिछले दशक में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 39.3 से बढ़कर 54.16 प्रतिशत हो गयी, जबकि, पुरुष साक्षरता की वृद्धि दर 64.1 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत हो गई। स्त्री पुरुष समानता और महिला अधिकारिता भी दृष्टिगत हुई है क्योंकि लगभग 60 प्रतिशत भाग लेने वाली लाभार्थी स्त्री थी।

चर्चा करे- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत संचालित सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के लोगों को साक्षर बनाने का प्रयत्न किया गया।

अभ्यास प्रश्न

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के उद्देश्य क्या थे।
2. उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न

3. सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन के लिए कौन-कौन से अभिकरण उत्तरदायी है।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

4. सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा सर्व प्रथम किस राज्य में की गई।

सर्व शिक्षा अभियान

प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा 1-8) सार्वभौमिक लक्ष्य को एक निर्धारित समयावधि में प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2001-02 में 16 जनपदों में केन्द्र पुरोनिधानित योजना 'सर्व शिक्षा अभियान' संचालित किया गया। ये जनपद कानपुर नगर, लखनऊ, इलाहाबाद, कौशाम्बी, सीतापुर, गोरखपुर, बांदा, चित्रकूट, इटावा, औरैया, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर, वाराणसी चन्दौली तथा भदोही हैं। वर्ष 2002-03 से सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित किया जा रहा है। योजना के सफल परियोजना संचालन समिति में प्रदेश स्तर पर 'उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद' तथा जिले स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन किया गया है।

प्रमुख शिक्षण बिन्दु

- सर्व शिक्षा अभियान की आवश्यकता एवं महत्व दूसरा प्वाइंट है
- सर्व शिक्षा अभियान के कार्य तीसरा प्वाइंट है
- केन्द्र एवं राज्य सरकार की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान को राज्य सरकारों की मदद से कार्यान्वित किया जाता है और देश की 11 लाख बस्तियों के 19 करोड़ 20 लाख बच्चे इससे लाभान्वित होते हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

व्यापक रूप से सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य शिक्षा के स्थायी विकास के लिए प्रदेश, जनपद और उप जनपद स्तर पर प्रबन्धकीय और व्यावसायिक क्षमता का निर्माण करना।

1. 2010 तक 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। ड्रॉप आउट को कम करना विद्यालय छोड़कर जा चुकी बालिकाओं को वापस लाने हेतु अभियान चलाना।
2. विद्यालय के प्रबन्धन में समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके सामाजिक क्षेत्रीय और लिंग संबंधी अन्तर को कम करना।
3. लड़कियों का नामांकन और शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना। बच्चों के सीखने के स्तर में उल्लेखनीय सुधार लाना।

सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित योजनाएं— सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कतिपय विशिष्ट कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया—

संस्थागत सुधार

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्य सरकार शिक्षण प्रसारण व्यवस्था की कार्यकुशलता हेतु प्रयास करते हैं, जिसमें शैक्षिक प्रशासन, विद्यालयों की सम्प्राप्ति स्तर, वित्तीय मुद्दे, विकेन्द्रीकरण, सामुदायिक स्वामित्व, पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन, बालिका शिक्षा की स्थिति आदि सम्मिलित है।

धारणीय वित्तीय प्रावधान

सर्व शिक्षा अभियान का आधार प्रारम्भिक शिक्षा में नवीन हस्तक्षेपों हेतु सतत वित्तीय प्रावधान है। यह केन्द्र एवं राज्यों के मध्य दीर्घकालीन वित्तीय भागीदारी से ही सम्भव है।

समुदायिक स्वामित्व

यह अभियान प्रभावी विकेन्द्रीकरण को अपनाते हुए विद्यालय के सामुदायिक स्वामित्व पर आधारित है। यह सहभागिता महिला समूहों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा ग्राम पंचायत सदस्यों के जुड़ने से अधिक मजबूत होती है।

संस्थागत क्षमता विकास

सर्व शिक्षा अभियान क्षमता संवर्द्धन में राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय संस्थाओं जैसे न्यूपा, एन0सी0ई0आर0टी0, एन0सी0टी0ई0,एस0सी0ई0आर0टी, सीमैट डायट की विशेष भूमिका पर बल देता है। गुणात्मक सुधार हेतु संदर्भ व्यक्तियों तथा संस्थाओं के सतत अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।

पूर्ण पारदर्शिता के साथ समुदाय आधारित मूल्यांकन

इस अभियान के अन्तर्गत समुदाय आधारित मूल्यांकन व्यवस्था को अपनाया गया है। शैक्षिक सूचना प्रणाली व्यवस्था द्वारा सूक्ष्म नियोजन हेतु आँकड़े उपलब्ध कराना तथा हर विद्यालय को समुदाय के साथ सूचनाएं बांटने के लिए प्रेरित किया जाता है।

बालिका शिक्षा को प्राथमिकता

बालिका शिक्षा विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग तथा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शिक्षा की सामान्य प्रक्रिया से जोड़ा गया।

इनके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों की भूमिका को शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में केन्द्रीय माना गया है। तथा उनके क्षमता संवर्द्धन विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

चर्चा करें

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 2007 तक प्रारम्भिक शिक्षा तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इन लक्ष्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई।

वित्तीय पोषण

योजना	भारत सरकार	उत्तर प्रदेश
नवीं पंचवर्षीय योजना	85	15
दसवीं पंचवर्षीय योजना	75	25
ग्यारहवीं वर्ष 2007-08,	65	35
वर्ष 2009	65	35
वर्ष 2010	60	40
वर्ष 2011	65	35
वर्ष 2012	65	35
वर्ष 2013 सर्व शिक्षा अभियान	65	35

स्रोत—सर्व शिक्षा अभियान वार्षिक आख्या 2012-13 उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना उ0प्र0।

अभ्यास प्रश्न

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. प्रारम्भिक शिक्षा में आप किन चुनौतियों का सामना करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान उसमें कहाँ तक सहायक हैं।
2. सर्व शिक्षा अभियान क्या है ? सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों का निर्धारण कीजिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए।
2. सर्व शिक्षा अभियान के महत्व पर टिप्पणी लिखिए।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

1. सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है एवं उनकी वित्तीय सहभागिता का प्रतिशत क्या है ?

एन0पी0ई0जी0ई0एल0 (नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलीमेंट्री लेवल)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कराये गये सर्वेक्षणों के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि विभिन्न प्रयासों के बाद भी बालिकाओं की विद्यालय से दूरी कम नहीं हुई। यदि नामांकन करा भी दिया गया तो यह जानना आवश्यक है कि उपस्थिति अनियमित रही या वे बीच में ही ड्रॉप आउट हो गई। इसलिये सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत अलग से अपवंचित एवं साधन विहीन बालिकाओं की शिक्षा सम्बन्धी विशेष योजना बालिकाओं के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम एन0पी0ई0जी0ई0एल0 के नाम से चलाई गयी जिसमें बालिकाओं की शिक्षा सम्बन्धी विशेष आवश्यकताओं के लिये अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु न्याय पंचायत वार योजना बनाकर उनकी उपस्थिति, ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है।

एन0पी0ई0जी0ई0एल0की आवश्यकता क्यों ?

- समुदाय को बालिकाओं की शिक्षा के प्रति संवेदनशील व जागरूक बनाने के लिये।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को बालिका शिक्षा के उन्नयन व संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।
- नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हेतु 3-6 वयवर्ग के बच्चों के लिए चाइल्ड केयर सेन्टर को विद्यालय में स्थापित करना।

एन0पी0ई0जी0ई0एल0 (N. P. E. G. E. L.) के उद्देश्य

- शिक्षा में लैंगिक अन्तराल (Gender Gap) को कम/दूर करना।
- समस्त जनपदों की निम्न महिला साक्षरता दर वाली विकास खण्ड/न्याय पंचायत स्तर पर एक विद्यालय को मॉडल क्लस्टर स्कूल के रूप में विकसित किया जायेगा।
- चयनित मॉडल क्लस्टर स्कूल में शत-प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्ता में वृद्धि हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे।
- ओपेन स्कूलके माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा हेतु प्रयास किये जायेंगे।
- शालात्यागी बच्चों विशेषकर बालिकाओं की ग्रीष्मकालीन शिविर के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा से पुन जोड़ना।
- छात्र/छात्राओं के मूल्यांकन के पश्चात उन्हें चिन्हित कर गणित, अंग्रेजी व विज्ञान आदि विषयों के लिये रेमीडियल कैम्प (Remedial Camp) का संचालन करना।
- बालिकाओं के लिये उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यानुभव शिक्षा प्रदान करना।
- असेवित क्षेत्रों/बस्तियों की शिक्षा से वंचित बालिकाओं को ब्रिज कैम्प संचालित कर शिक्षित करना।

क्षेत्र

- महिला साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से कम तथा लिंगानुपात के राष्ट्रीय औसत से अधिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्ड।
- कम से कम 5% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में 10% से कम साक्षरता दर वाले विकास खण्ड।
- चयनित शहरी मलिन बस्तियाँ।

एन0पी0ई0जी0ई0एल0 (N. P. E. G. E. L.) के घटक

- प्रत्येक न्याय पंचायत में आदर्श क्लस्टर विद्यालय।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के अधिक घनत्व के क्षेत्र में अवस्थित विद्यालय।
- सभी सुविधाओं के उपयोग हेतु क्लस्टर में सभी विद्यालयों तक पहुँच।
- वर्ष 2007-08 तक 7245 विद्यालयों का आदर्श क्लस्टर विद्यालयों के रूप में सुदृढीकरण।

एन0पी0ई0जी0ई0एल0 योजना के अन्तर्गत चयन मॉडल क्लस्टर विद्यालयों को इस प्रकार से विकसित किया जाना आवश्यक है कि वे बालिका शिक्षा के लिये आदर्श विद्यालय हों। इन मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

(क) लकड़ी की चौकी की व्यवस्था

रक्षा 1-5 तक की बालिकाओं में लिखने की प्रक्रिया सुगम बनाने के लिये वर्ष 2005-06 में 8392 मॉडल क्लस्टर के प्राथमिक विद्यालयों की बालिकाओं को लकड़ी की चौकी उपलब्ध कराई गई।

(ख) पुस्तकालयों की स्थापना

बालिकाओं में पढ़ने की कुशलता विकसित करने हेतु नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के सहयोग से क्लस्टर विद्यालयों में पुस्तकालय स्थापित किये गये। पुस्तकालय की पुस्तकों का क्रय ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से किया जाता है।

(ग) साइकिलों और झूलों की उपलब्धता

- बालिकाओं में गत्यात्मक कौशल तथा आत्मविश्वास विकसित करने हेतु प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर विद्यालय में 10 साइकिलें द्वितीय चरण में प्रत्येक क्लस्टर (एन0पी0आर0सी0 लेबल) विद्यालय में साइकिलें उपलब्ध कराई गई जिससे विद्यालय की प्रत्येक बालिका में साइकिलिंग कौशल विकसित हो जाय।

- विद्यालय में उत्साही वातावरण के लिये प्रत्येक क्लस्टर विद्यालय में झूलों के चार सेट स्थापित किए गए हैं।

(घ) निःशुल्क यूनीफार्म

चयनित 680 विकास खण्डों तथा शहरी मलिन बस्तियों में स्थापित प्राथमिक विद्यालयों की बालिकाओं को प्रति वर्ष यूनीफार्म का निःशुल्क वितरण कराया जाता है जिससे बस्तों की कमी बालिका के विद्यालय में ठहराव में बाधक न बने।

(च) निःशुल्क बैक वितरण

पूर्व माध्यमिक स्तर की बालिकाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में गत दो वर्षों से स्कूल बैग निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

(छ) बहुदेशीय कक्षा-कक्षों का निर्माण

विद्यालय में संरचनात्मक विकास, आवासीय सुविधाएँ, बालिका शौचालय, जल की उपलब्धता, विद्युतीकरण, किचन सुविधा आदि के विकास के लिये ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया गया है।

(ज) उपचारात्मक शिक्षा व्यवस्था

विद्यालयों में विषय अध्यापकों की कमी तथा लैंगिक विभेद के कारण प्रायः बालिकाओं के गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय में कम उपलब्धि स्तर को देखते हुए उपचारात्मक शिक्षा सुविधा विद्यालयों में उपलब्ध कराई जाती है जिसमें मानक से कम उपलब्धि स्तर वाली बालिकाओं के उपलब्धि स्तर की वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है।

(झ) विद्यालय/अध्यापक पुरस्कार

वर्ष 2008-09 तक प्रति वर्ष तथा 2009-10 में प्रस्ताव के अनुसार जनपदों में प्रत्येक क्लस्टर के सर्वोत्तम विद्यालय को दिए गए मानकों के अन्तर्गत चिहनीकरण कर पुरस्कृत किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. एन0पी0ई0जी0ई0एल से आप क्या समझते हैं तथा इसकी क्या आवश्यकता है ?
2. एन0पी0ई0जी0ई0एल योजना के अन्तर्गत चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी हैं ?

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. एन0पी0ई0जी0ई0एल के क्या उद्देश्य हैं?
2. एन0पी0ई0जी0ई0एल के क्षेत्र बताइये।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. एन0पी0ई0जी0ई0एल का पूरा नाम क्या है ?

- (क) नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलीमेंट्री लेवल
(ख) नेशनल प्रोग्राम ऑफ इमपावरमेंट फॉर गर्ल्स एट एलीमेंट्री लेवल
(ग) नेशनल प्रेजेन्टेशन ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलीमेंट्री लेवल
(घ) इनमें से कोई नहीं।

2. एन0पी0ई0जी0ई0एल के अन्तर्गत चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में कौन सी सुविधा होती है।

- (क) पुस्तकालयों की स्थापना
(ख) निःशुल्क यूनिफार्म की व्यवस्था
(ग) लकड़ी की चौकी की व्यवस्था
(घ) उपर्युक्त सभी

3. छात्र-छात्राओं में गणित तथा अंग्रेजी विषयों के प्रति कमजोरी के निदान के लिये किसका संचालन किया जाता है?

- (क) मेंटल कैम्प (ख) विषय सम्बंधी कैम्प (ग) रेमीडियल कैम्प (घ) इनमें से कोई नहीं

स्कूल चलो अभियान

भारतीय संविधान में 6-14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत किये जा रहे प्रयासों के बावजूद कई बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं। इस हेतु प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 तक स्कूल चलो अभियान चलाने का निश्चय किया था। इस अभियान के अन्तर्गत स्कूल न जाने वाले प्रत्येक बालक-बालिका का नामांकन विद्यालयों में कराया जाएगा। नामांकन हेतु ऐसे चिन्हित क्षेत्रों में नामांकन हेतु विशेष प्रयास करने हैं जहाँ विद्यालय से बाहर बच्चों की संख्या अधिक है। ऐसे क्षेत्र शहरों की मलिन बस्तियाँ, रेलवे स्टेशन के आस-पास के क्षेत्र, बस स्टेशन के आस-पास के क्षेत्र, ईट-भट्टों के आस-पास के क्षेत्र हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में शत-प्रतिशत नामांकन व बीच में स्कूल छोड़ने वालों बच्चों की संख्या शून्य तक लाना सुनिश्चित करने के लिये सघन प्रयास किये जाने थे। स्कूल चलो अभियान के लिये विभिन्न स्तरों पर गतिविधियाँ आयोजित की जानी थीं।

जनपद स्तर पर

1.	नामांकन की रणनीति तैयार किये जाने के सम्बन्ध में जिला शिक्षा परियोजना समिति की बैठक।	20 जून
2.	जनपद के जनप्रतिनिधियों, जिला पंचायत अध्यक्ष/संसद सदस्य/विधायकगण/जिला पंचायत सदस्य से नामांकन हेतु सहयोग हेतु सम्पर्क।	20-22 जून

ब्लाक स्तर पर

1.	ब्लॉक पर ब्लाक प्रमुख/बी0डी0सी0 सदस्यों तथा ग्राम प्रधानों की विशेष बैठक एवं कार्ययोजना।	22-25 जून
----	--	-----------

ग्राम स्तर पर

1.	ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति की बैठक एवं कार्ययोजना	25-30 जून
2.	प्रभात फेरी	1-2 जुलाई
3.	घर-घर जाकर सम्पर्क	3-6 जुलाई

उद्देश्य

इस स्कूल चलो अभियान का प्रमुख उद्देश्य विद्यालय न जाने वाले तथा पढ़ाई एवं विद्यालय से अरुचि रखने वाले बच्चों को विद्यालय तक पहुँचाकर शिक्षा का असमानता, हास एवं अवरोधन को

समाप्त करना है। शत-प्रतिशत नामांकन के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए समस्त सरकारी विभाग, अधिकारी और कर्मचारी को प्रतिबद्ध होना है, जिससे 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा सके तथा सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य को व्यापक प्रचार-प्रसार द्वारा जन-जन तक पहुँचाया जा सके।

अभ्यास प्रश्न

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. स्कूल चलो अभियान क्या है तथा इसके उद्देश्यों के बारे में लिखिए?

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया गया?

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. किस वय वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार दिया गया—

(क) 3-8

(ख) 6-14

(ग) 4- 10

(घ) 5-10

2. स्कूल चलो अभियान कब चलाया गया।

(क) 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 तक

(ख) 1 जून से 31 जून 2006 तक

(ग) 1 जनवरी से 31 जुलाई 2006 तक

(घ) 1 जुलाई से 20 जुलाई 2006 तक

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय

भूमिका

भारत एक पुरुष प्रधान देश है। बालिकाओं की तुलना में बालकों को महत्व दिया जाता है जो अनुचित है। यह मानसिकता बालिकाओं की प्रगति में बाधा बनी हुई है। एक साक्षर स्त्री ही सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त हो सकती है और देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम होगी। शिक्षा अवसरों की उपलब्धता सभी के लिये समान रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए। सत्य ही कहा गया है कि एक पुरुष की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा होती है जबकि एक महिला की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा होती है।

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं और उनके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं, किन्तु इन प्रयासों और परिणामों के बाद भी बालिकाओं की शिक्षा एक प्रमुख चुनौती है। परिणामस्वरूप सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत एन0पी0ई0जी0ई0एल, के0जी0बी0पी0 जैसे बालिका शिक्षा हेतु विशेष कार्यक्रमों द्वारा बालिकाओं के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा के लिये अधिक गंभीर प्रयास किये जा रहे हैं।

इस योजना के अन्तर्गत जहाँ अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराए गए, वहीं एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम में उपलब्ध संसाधनों को संवदित करते हुए अपेक्षाकृत अधिक परिणामपरक बनाने का प्रयास किया गया। पुनः विद्यालयीय शिक्षा से वंचित बालिकाओं को विद्यालय तक लाने के लिये कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों की स्थापना की गई जिसमें शत-प्रतिशत बालिकाओं तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित की जा सके। इस समस्त कार्यक्रमों का सम्मिलित उद्देश्य निम्नवत् है:-

उद्देश्य

- बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना।
- बालिकाओं के सार्वभौम नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास करना।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के0जी0बी0वी0) बालिका शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालय से बाहर एवं शालात्यागी बालिकाओं के लिये के0जी0बी0वी0 की स्थापना का प्रावधान है। यह योजना 2004-05 से प्रारम्भ की गई है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ऐसे 680 विकास खण्ड, जिनकी ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, उन्हें योजना से आच्छादित किया गया। ये विद्यालय पूर्ण रूप से

आवासीय हैं, इनमें बालिकाओं की शिक्षा के साथ-साथ निःशुल्क भोजन तथा आवास, चिकित्सा, व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जाती है।

इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को ड्राप आउट गैर नामांकित बालिकाओं को कक्षा 6-8 की आवासीय शिक्षा दी जाती है। यह योजना देश के सभी प्रदेशों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू है। संख्या की दृष्टि से के0जी0बी0वी0 की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को संचालित करने वाली संस्थाए

1. जिला स्तरीय समिति (डीपीओ/ DIET)

2. N G O

3. महिला समाख्या

के0जी0बी0वी0 के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित जिला स्तरीय समिति निम्नवत् है:-

1.	डीएम0	—	अध्यक्ष
2.	सीडीओ0	—	उपाध्यक्ष
3.	प्राचार्य डायट	—	सदस्य
4.	बीएसओ0	—	सदस्य सचिव
5.	जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ)	—	सदस्य
6.	प्रधानाचार्य, जीजीआईसी0	—	सदस्य
7.	डीसी0	—	सदस्य
8.	जिलाधिकारी द्वारा नामित दो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक		सदस्य
9.	जिलाधिकारी द्वारा नामित दो स्वैच्छिक संस्थाएं	—	सदस्य
10.	महिला समाख्या जनपदों में महिला समाख्या के प्रतिनिधि	—	सदस्य

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिये अलग से स्टाफ की व्यवस्था की गयी है:-

- वार्डन कम शिक्षक के पद पर महिला अभ्यर्थी का चयन
- पूर्णकालिक शिक्षक पद पर महिला अभ्यर्थी का चयन
- विषय आधारित महिला शिक्षक का चयन
- तैनाती में नियमानुसार आरक्षण की सुविधा इन विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश देकर कक्षा 6, 7, 8 की परिषदीय विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार 3 वर्ष की शिक्षा दी जाती है।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के उद्देश्य

- के0जी0बी0वी0 का उद्देश्य दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्र में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है जिससे सभी अभिभावक बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान दें।
- गरीब एवं पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है, जिससे गरीबी उनके अध्ययन में बाधा न बने।
- विद्यालय के आवासीय स्वरूप का उद्देश्य बालिकाओं को प्रतिदिन विद्यालय आने-जाने से मुक्ति प्रदान करना तथा आर्थिक कठिनाइयों से मुक्त करना है, जैसे-भोजन, किताबें तथा पेन्सिल आदि पर किये गये व्यय से मुक्त करना।
- जिस क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता दर अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है उस क्षेत्र की बालिकाओं को पूर्ण साक्षर बनाना।
- जिन क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों का अभाव है तथा शिक्षा के साधन उपलब्ध नहीं हैं, उस क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षित करना कस्तूरबा गाँधी विद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य है।

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय सर्वशिक्षा अभियान एवं सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की कड़ी के रूप में है, जो विशेष रूप से दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षित करने के लिये स्थापित किये गये हैं। इस प्रकार के विद्यालयों में बालिकाएं पूर्ण रूप से शैक्षिक वातावरण के अन्तर्गत निःशुल्क रूप से शिक्षा प्राप्त करती हैं। इससे बालिका शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता उत्पन्न होती है।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना के घटक

- उन क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय की स्थापना करना जहाँ प्रारम्भिक स्तर पर कम से कम 75 बालिकाएं (उनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की हों) उपलब्ध हो। इनकी संख्या 75 से अधिक भी हो सकती है।
- इन विद्यालयों को आवश्यक बुनियादी संरचना उपलब्ध कराना।
- शिक्षण अधिगम तकनीकों एवं सामग्री को प्राप्त एवं तैयार करना।
- आवश्यक अकादमिक अनुसमर्थन एवं उपयुक्त मूल्यांकन तथा पर्यवेक्षण की पद्धति को अपनाना।
- बालिकाओं तथा उनके परिवार को आवासीय विद्यालयों में दाखिले के लिये प्रेरित करना।
- 75 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं का तथा 25 प्रति गरीबी रेखा से नीचे रह रही बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित करना।

अभ्यास प्रश्न

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का स्वरूप कैसा है? इस योजना के उद्देश्यों को लिखिए ।
2. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को संचालित करने वाली संस्थाएं कौन-कौन सी हैं?

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के घटक लिखिए ।
2. बालिका शिक्षा के लिये प्रस्तावित समस्त कार्यक्रम के उद्देश्यों को लिखिए ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना कब से प्रारम्भ की गई —
(क) 2000–2002 (ख) 2004–2005 (ग) 2004–2006 (घ) 2005–2006
2. के0जी0बी0वी0 के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति में इनमें से कौन नहीं है?
(क) डी0एम0 (ख) बी0एस0ए0 (ग) सी0डी0ओ0 (घ) डी0आई0ओ0एस0

प्रारम्भिक बाल देख-रेख एवं शिक्षा (ECCE)

प्रारम्भिक बाल देख-रेख एवं शिक्षा का स्वरूप

पूर्व प्राथमिक शिक्षा जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा से पूर्व की शिक्षा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा मुख्यतः 'शिशु शिक्षा' से सम्बन्धित है अर्थात् विद्यालय जाने से पहले शिशुओं को दी जाने वाली शिक्षा। शिशु शिक्षा को अंग्रेजी में नर्सरी एजुकेशन कहते हैं। नर्सरी वह स्थान है जहाँ पौधों का रोपण एवं उनकी देखभाल की जाती है। जिस प्रकार से नर्सरी के पौधों की देखभाल करते हैं ठीक इसी प्रकार नन्हें शिशुओं की भी उचित देखभाल, उचित पोषण, स्वास्थ्य और सीखने के लिये अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर बच्चों का संतुलित विकास सम्भव है।

प्रारम्भ में शिशुओं की शिक्षा को पूर्व प्राथमिक शिक्षा, विद्यालय पूर्व शिक्षा अथवा शालापूर्ण शिक्षा आदि नामों से जाना जाता है क्योंकि नर्सरी विद्यालयों में प्रायः ढाई-तीन साल से लेकर 6 वर्ष तक के शिशुओं को शिक्षा दी जाती थी। 2 अक्टूबर, 1975 को भारत में एक देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ किया गया जिसे समेकित बाल विकास सेवाएं के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाएं तथा गर्भवस्थ शिशु से लेकर 6 वर्ष या कभी-कभी उससे भी अधिक आयु के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा का प्रावधान है। इस कार्यक्रम की व्यापकता के कारण शिशु शिक्षा के नाम में भी बदलाव आया और इसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा तथा देखभाल अथवा ई0सी0सी0ई0 (ECCE Early Child care and Education) की संज्ञा दी गई। इसका कारण यह था कि इसका क्षेत्र 3-6 वय वर्ग से बढ़कर 0-6 हो गया और इसमें शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं भी सुलभ कराई जाने लगीं।

इस परियोजना का प्रयास है कि इन केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालयों के निकट खोला जाए जिससे कि वह बच्चे जो छोटे भाई-बहनों की देखभाल की वजह से विद्यालय नहीं जा पाते हैं, अब जा सकें और दोनों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें

इसके अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के लिये 15 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की जाती है। वर्ष 2008-09 तक समेकित बाल विकास परियोजना से समन्वय स्थापित कर 9180 आंगनबाड़ी केन्द्रों का सशक्तीकरण किया गया। इस हेतु ई0सी0सी0ई0 कार्यकर्ती तथा सहायिका को प्रशिक्षण, मानदेय, केन्द्र संचालन सामग्री क्रय तथा खेल सामग्री क्रय हेतु धनराशि का व्यय किया गया। समस्त खेल सामग्री प्रधानाध्यापक की पत्रांक पंजिका में अंकित तथा विद्यालय के स्वामित्व में है।

वर्ष 2009-10 से जनपदों में शीर्षक के अन्तर्गत प्री-स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक जनपद में 200 विद्यालयों का चिहनांकन और उनमें 4 आयु वर्ग के 20-25 बच्चों का नामांकन कराया गया है। प्रत्येक विद्यालय के 01 शिक्षामित्र को उक्त कार्यक्रम में प्रशिक्षण

दिया गया है तथा शिक्षामित्र व सहायिका के मानदेय, प्री-स्कूल किट के क्रय व प्रशिक्षण आदि पर उक्त धनराशि व्यय की जाती है।

प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री तथा एक सहायिका की व्यवस्था की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री केन्द्रों पर चार छोटे शिशुओं हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। सहायिका केन्द्र पर बच्चों की देखभाल एवं आवश्यकता पड़ने पर घरों से बच्चों को केन्द्रों पर ले आने व ले जाने की व्यवस्था करती है, ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों हेतु विकसित वार्षिक कैलेण्डर के अनुसार ही प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों पर विभिन्न क्रियाकलाप आयोजित किये जाते हैं। शिशु शिक्षा कार्यक्रम में बच्चों पर कोई तनाव व बोझ डाले बिना शिशु के जीवन को बेहतर और समृद्ध बनाने की बात रखी गई है। उसके अनुसार इस स्तर के शिशुओं को केवल पढ़ना, लिखना और गिनती न सिखाकर उनके सर्वांगीण विकास हेतु कहानी, गीत तथा रोचक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है।

केन्द्र के दैनिक क्रियाकलाप	व्यक्तित्व के विभिन्न पक्ष
1. स्वागत, स्वच्छता की जाँच प्रार्थना	1. सामाजिक विकास, स्वस्थ आदतें, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास
2. स्फूर्तिदायक क्रियाएं	2. शारीरिक विकास
3.वार्तालाप	3. भाषा का विकास तथा सामाजिक विकास
4. संज्ञानात्मक विकास हेतु क्रियाएं	4. मानसिक विकास
5. कक्ष के अन्दर की खेल क्रियाएं	5. शारीरिक विकास दीर्घ मांसपेशियों का विकास
6. कक्ष के बाहर के खेल	6. शारीरिक विकास-सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास
7. भाषायी खेल	7. भाषा का विकास
8. कहानी, गीत	8. मानसिक कौशलों का विकास तथा भाषा का विकास

ई0सी0सी0 के कार्य क्षेत्र निम्नलिखित है-

1. पूर्व बाल्यावस्था सुरक्षा एवं शिक्षा (ECCE) के लिये सभी साधन एवं राष्ट्रीय संसाधनों को प्रयोग में लाना। इसके लिए खोज, प्रशिक्षण, विकास और प्रसार क्रियाओं को समझना।
2. पूर्व बाल्यावस्था सुरक्षा एवं शिक्षा द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों के लिये क्षमता का निर्माण करना तथा इस विभाग के अन्तर्गत SCERT तथा DIET के विकास हेतु सहायता प्रदान करना।
3. पूर्व बाल्यावस्था सुरक्षा एवं शिक्षा द्वारा षटमासिक डिप्लोमा कोर्स व्यवहार में लाना जिससे राज्य योजना कार्यक्रम को लागू कर अध्यापकों, बालकों तथा अभिभावकों के लिये आवश्यक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयक सम्भव हो सके।

4. राज्य स्तरीय संयोजन समितियों को राज्य की विशिष्ट योजनाओं के लिये तैयार करना, जिससे राज्य शिक्षा विकास के साथ महिला तथा शिशु विभाग में सामंजस्य पैदा हो सके।
5. पूर्व बाल्यावस्था सुरक्षा एवं शिक्षा का कार्य है शिशु संचार माध्यम, प्रयोगशाला किट का प्रबन्धन तथा अशासकीय स्वैच्छिक संगठन (छळवे) तथा अन्य निजी संस्थाओं को कार्य करने हेतु उत्साहित करना जिससे आंगनबाड़ी तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों का विकास हो सके।
6. पूर्व बाल्यावस्था सुरक्षा एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव के आधार पर रिसर्च अध्ययन को व्यवहार में लाना तथा इसका विकास करना।

अभ्यास प्रश्न

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. प्रारम्भिक बाल देख-रेख एवं शिक्षा (ई0सी0सी0ई0) कार्यक्रम क्या है तथा इस परियोजना का प्रयास क्या है ?

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. प्रारम्भिक बाल देख-रेख एवं शिक्षा (ई0सी0सी0ई0) कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र के बारे में लिखिए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. ई0सी0सी0ई0 किस वय वर्ग के बच्चों के लिये है—
(क) 3-6 (ख) 0-3 (ग) 0-6 (घ) 2-6
2. समेकित बाल विकास सेवाएं कब से प्रारम्भ की गईं ?
(क) 2 अक्टूबर 1975 (ख) 2 जुलाई 1980 (ग) 20 जुलाई 1980 (घ) 20 अक्टूबर 1975

राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना

बालश्रम: दशा एवं दिशा

बालश्रम की समस्या प्रत्येक युग और समाज में किसी न किसी रूप में सदैव विद्यमान रही है, परन्तु वर्तमान औद्योगीकरण के युग में यह समस्या अधिक भयंकर रूप से प्रस्फुटित हुई है। बाल श्रम प्रथा किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर एक बोझ, मानवता के नाम पर एक कलंक तथा बच्चों के लिये अभिशाप है, लेकिन कुछ वर्गों के स्वार्थों के रहते ये न केवल भारत वरन् संसार के सम्पन्न और विकसित कहे जाने वाले देशों में भी विद्यमान है। यहाँ तक कि अमरीका जैसे धनी और सम्पन्न देश में भी बालश्रम की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। विश्व के समस्त देशों में बच्चों को विभिन्न उद्योगों और कार्यों में लगाकर उनका शोषण किया जाता है।

बालश्रम की समस्या का विश्लेषण करने से जो कारण उभर कर आते हैं उनमें निर्धनता, परिवार के बड़े आकार में बच्चों की उपेक्षा, बालक-बालिका में भेदभाव, शिक्षा सुविधा की दुर्बलता आदि मुख्य हैं। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल श्रमिकों की संख्या लगभग एक करोड़ बारह लाख है। जनवरी 2000 में विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में सबसे अधिक लगभग 6 करोड़ बाल मजदूर भारत में हैं जिनमें डेढ़ करोड़ बन्धुआ बाल श्रमिक भी सम्मिलित हैं।

भारत सरकार, राज्य सरकारों, गैर सरकारी संस्थाओं, समुदाय के मध्य कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) जैसी विश्व स्तरीय संस्था द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बना। राष्ट्रीय बालश्रम उन्मूलन परियोजना (1992) भारत सरकार के श्रम मंत्रालय और शिक्षा विभाग तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम विभाग के तकनीकी सहयोग पर आधारित परियोजना है।

राष्ट्रीय बालश्रम उन्मूलन परियोजना के उद्देश्य

- जोखिम वाले उद्योगों में काम करने वाले बच्चों को पहचानना
- इन उद्योगों से बच्चों और किशोर-किशोरियों को हटाना
- बाल मजदूरी से अलग किये गये बच्चों को सार्थक और अच्छी शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण देना।
- बाल मजदूरों के परिवारों को रोजगार के ठोस अवसर प्रदान करना।
- लक्ष्यगत क्षेत्र में सार्वजनिक शिक्षा के बुनियादी ढांचों को मजदूर बनाना।
- लोगों में जागरूकता पैदा करके तथा समुदाय की मदद से जोखिमपूर्ण बाल मजदूरी की रोकथाम के लिये सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना।

वस्तुतः इस परियोजना का उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा और बचपन का वह अधिकार प्रदान करना है जो उससे छीना नहीं जाना चाहिए। इस परियोजना के क्रियान्वयन के द्वारा यह आशा की जाती है कि बाल मजदूरी से मुक्त समाज के स्वप्न को साकार करने में समाज के सभी सदस्यों की सक्रिय सक्षमता और समर्थन प्राप्त हो सकेगा।

बालश्रम निषेध सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान एवं नागरिक दायित्व

अनुच्छेद 24— कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध

अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य संकटमय गतिविधियों यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का निषेध करता है। बालश्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरों के रूप में काम करने पर अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटलो, रेस्तरा, दुकानों, कारखानों, रिसार्ट, चाय की दुकानों आदि में नियोजन पर रोक लगा दी है। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वालों के विरुद्ध अभियोजन और दण्डात्मक कार्रवाही की चेतावनी दी गई है।

अतः भारतीय नागरिकों का यह कर्तव्य है कि बाल मजदूरी, बलात् श्रम, बेगार जैसी कुरीतियों का अनुकरण न करें। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारा दायित्व है कि हम अपने पास-पड़ोस एवं स्वयं के घर में होने वाले बालश्रम के प्रति संवेदनशील बनें। बालश्रमिक के रूप में कार्य कर रहे बच्चों को बालश्रम से छुटकारा दिलाये तथा उन्हें शिक्षा प्राप्ति की ओर अग्रसर करें। इसके लिए हम स्वयं सेवी संस्थाओं व इस दिशा में कार्यरत सरकारी संस्थाओं की भी सहायता ले सकते हैं।

सर्वशिक्षा अभियान से सम्बन्ध

बाल श्रम उन्मूलन परियोजना का सर्वशिक्षा अभियान से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, लक्ष्यगत समूह के बच्चों को बाल मजदूरी से छुटकारा दिलाए बिना सर्वशिक्षा अभियान की शत-प्रतिशत सफलता संभव नहीं है। सर्वशिक्षा अभियान राज्य सरकारों की साझेदारी से केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें दोनों सरकारें दीर्घकालिक परिव्यय को वहन करेंगी। मिशन के रूप में शुरू किये गये इस अभियान के निम्नलिखित चार लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये संचालित किया जा रहा है—

- औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों के द्वारा अथवा अन्य समकक्ष विकल्पों के माध्यम से वर्ष 2003 तक 6-14 वर्ष के वय वर्ग के सभी बच्चों के लिये शिक्षा सुलभ कराना।
- सभी बच्चों को वर्ष 2007 तक पाँच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना।
- सभी बच्चों की वर्ष 2010 तक 10 वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करवाना।
- वर्ष 2010 तक सबके लिये संतोषजनक, गुणवत्ता वाली प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करना।
- बालिकाओं, उपेक्षित वर्गों तथा विशेष सुविधा से वंचित जातिगत समूहों, अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर इसमें मुख्य बल केन्द्रित किया गया है।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सर्वशिक्षा अभियान एक वृहद तथा राष्ट्रीय स्तर पर संचालित व्यापक कार्यक्रम है जिसका संकल्प 14 वर्ष तक उम्र के सभी बच्चों के लिये प्रारम्भिक शिक्षा की सम्प्राप्ति सुनिश्चित करना है। इसी के साथ बालश्रम में फंसे बच्चों को वहाँ से मुक्त कराकर तथा उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर ही हम सार्वभौम प्रारम्भिक शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य की सम्प्राप्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं। अतः सर्वशिक्षा अभियान के कार्यक्रमों को समयबद्ध ढंग से क्रियान्वित करने के साथ-साथ हमें बालश्रम का उन्मूलन कर इन बच्चों को शिक्षा की धारा से जोड़ने तथा उनकी शिक्षा की निरन्तरता को सुनिश्चित करने के लिये भी दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करना होगा।

- बालक-बालिकाओं के अधिकारों के हनन को कहते हैं बालश्रम
- उनके ऊपर हुए दमन और अत्याचारों को कहते हैं बालश्रम
 - बाल श्रमिक अपने व्यक्तित्व का विकास कभी कर पाता नहीं
 - क्योंकि उनका शोषण ही बालश्रम कहलाता है।
- हर बालक और बालिका को शिक्षा का है समान अधिकार
- शिक्षा ही देती है उनके मनुष्य रूप के विकास का अधिकार।
 - हमें देखना है कि उन्हें मिले शिक्षा-दीक्षा का प्रभावी हथियार
 - जिसमें आ सके देश के चहँ दिशा विकास में एक नयी वहार
- इसके लिये जन-जन को साक्षर बनाना है।
- बालश्रम पूर्णतः हटाना है।

अभ्यास प्रश्न

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. बाल श्रम से आप क्या समझते हैं तथा इसका सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्ध बताइये ।

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के उद्देश्यों को लिखिए ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राष्ट्रीय बालश्रम उन्मूलन परियोजना का वर्ष है—

(क) 1990 (ख) 1995 (ग) 1996 (घ) 1992

2. राष्ट्रीय बालश्रम उन्मूलन परियोजना किसके सहयोग पर आधारित है ?

(क) भारत सरकार के श्रम मंत्रालय (ख) शिक्षा विभाग

(ग) अमेरिका के श्रम विभाग (घ) उपर्युक्त सभी

स्रोत्र

1. सर्व शिक्षा अभियान (महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन) राज्य परियोजना कार्यालय विधा भवन निशातगंत लखनऊ।
2. सीमेट पत्रिकाएं— उदिशा, अभिनव
3. राज्य शिक्षा संस्थान पत्रिकाएं— आधार शिला एवं स्पन्दन
4. डी0डी0 बसु— भारतीय संविधान

मध्यान्ह भोजन / पोषाहार वितरण योजना

मध्यान्ह भोजन योजना एक महत्वपूर्ण जनोपयोगी योजना है। संविधान में शिक्षा का समवर्ती सूची के अन्तर्गत होने के कारण यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से संचालित हो रही है। यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी। जिसके अन्तर्गत कक्षा-1 से कक्षा-5 तक प्रदेश के राजकीय/परिषदीय/राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में सभी बच्चों को 80 प्रतिशत उपस्थिति पर प्रतिमाह 3 किग्रा गोहूँ तथा चावल देने की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान समय में इस व्यवस्था का विस्तार करके कक्षा-1 से कक्षा-8 तक प्राथमिक विद्यालयों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को इस योजना से अच्छादित किया गया है।

प्रमुख शिक्षण बिन्दु

- मध्यान्ह भोजन योजना एक परिचय
- मध्यान्ह भोजन योजना का उद्देश्य
- योजनान्तर्गत पके पकाये भोजन की व्यवस्था
- किचेन सम्बन्धी आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था
- रसोइया का चयन
- निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था
- विशिष्ट उपलब्धियाँ

सोचें और बतायें— मध्यान्ह भोजन की आवश्यकता क्यों।

मध्यान्ह भोजन वितरण योजना का उद्देश्य

मध्यान्ह भोजन वितरण योजना के क्रियान्वयन से निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण का गठन अक्टूबर 2006 में किया गया।

1. प्रदेश के राजकीय, परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों, ई0जी0एस0 एवं ए0आई0ई0 केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना।
2. पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित कराना।
3. विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाना।
4. प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के विद्यालय में रुकने की प्रवृत्ति विकसित करना तथा ड्रॉप आउट रेट कम करना।
5. बच्चों में भाई-चारे की भावना विकसित करना तथा विभिन्न जातियों एवं धर्मों के मध्य के अन्तर को दूर करने हेतु उन्हें एक साथ बिठाकर भोजन कराना जिससे उनमें अच्छी समझ पैदा हो।

चर्चा करें— विद्यालय में नामांकित बच्चों का ड्रॉप आउट होने का कारण।

योजनान्तर्गत पके पकाये भोजन की व्यवस्था

इस योजनान्तर्गत विद्यालयों में मध्यावकाश में छात्र/छात्राओं को स्वादिष्ट एवं रुचिकर भोजन प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत प्रत्येक छात्र को सप्ताह में 4 दिन चावल से बने भोज्य पदार्थ तथा 2 दिन गेहूँ से बने भोज्य पदार्थ दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रतिदिन 100 ग्राम एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रतिदिन प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रतिदिन 150 ग्राम खाद्यान्न से निर्मित सामग्री दी जाती है। खाद्यान्न से भोजन पकाने के लिए परिवर्तन लागत की व्यवस्था की गयी है। परिवर्तन लागत में सब्जी, तेल, मसाले एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था की जाती है। भोजन को तैयार करने एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था हेतु वर्तमान समय में प्राथमिक स्तर पर रु0 3.59 प्रति छात्र प्रति दिवस तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर रु0 5.38 प्रति छात्र प्रति दिवस परिवर्तन लागत के रूप में उपलब्ध कराया जाता है तथा इसमें प्रतिवर्ष अप्रैल माह में 7½ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जाती है। उपलब्ध कराये जा रहे भोजन में प्राथमिक स्तर हेतु कम से कम 450 किलो कैलोरी ऊर्जा व 12 ग्राम प्रोटीन एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन की मात्रा उपलब्ध होना चाहिए। उक्त के आधार पर सप्ताह के अलग-अलग दिनों में मेनू को निर्धारित कर तदनुसार भोजन दिये जाने वाली व्यवस्था है।

खाद्यान्न की व्यवस्था

मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन अर्थात् भोजन निर्माण का कार्य ग्राम पंचायतों/वार्ड समितियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं की देख-रेख में किया जा रहा है। भोजन बनाने हेतु आवश्यक खाद्यान्न (गेहूँ और चावल) जो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाता है। उसे सरकार सस्ते गल्ले की दुकान से प्राप्त कर ग्राम पंचायत द्वारा अपनी देख-रेख में विद्यालय परिसर में बने किचन शेड में भोजन तैयार कराते हैं। भोजन बनाने हेतु लगने वाली अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने का दायित्व भी ग्राम पंचायत का ही है। इस हेतु परिवर्तन लागत भी उपलब्ध करायी जाती है। नगर क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर भोजन बनाने का कार्य स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है।

चर्चा करें— मध्याह्न भोजन योजना में ग्राम पंचायत/ वार्ड सभासदों की क्या भूमिका है?

किचन सम्बन्धी आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक विद्यालय को रु0 85000 किचन शेड निर्माण हेतु उपलब्ध कराया जाता है तथा भोजन बनाने के लिए आवश्यक किचन उपकरण हेतु रु0 5000 प्रति विद्यालय को दिया जाता है।

रसोइया का चयन

भोजन बनाने हेतु सम्बन्धित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के अभिभावकों (माता/चाची/बहन/बुआ आदि) में से ही चयन किया जाता है। रसोइये का कार्य करने हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं विधवा/परिव्यक्ता को प्राथमिकता दी जाती है।

रसोइया का चयन एक शिक्षा सत्र के लिए ही किया जाता है एवं इसके निष्कासन की कार्यवाही प्रधानाध्यापक की रिपोर्ट के आधार ही की जाती है। रसोइया का मानदेय रु0 1000/- प्रतिमाह है। भुगतान बैंक में रसोइये के नाम बचत खाता खुलवाकर एकाउंटपेई चेक के माध्यम से किया जाता है।

विद्यालय में भोजन बनवाने की स्थिति में रसोइया की संख्या हेतु मानक निम्नवत् निर्धारित किया गया है।

क्र०सं०	विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या	अनुमन्य रसोइये की संख्या
1	25 तक	1
2	25-100	2
3	101-200	3
4	201-300	4
5	301-1000	5
6	1001-1500	6
7	1501 से अधिक	7

निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था

विद्यालय में पके पकाये भोजन की गुणवत्ता हेतु सबसे पहले विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या या शिक्षक/शिक्षिका इस भोजन को खाकर गुणवत्ता जाँच करते हैं। पके पकाये भोजन की व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नगर क्षेत्र पर वार्ड समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत समिति का गठन किया गया है। मण्डल स्तर पर योजना के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु मण्डलीय सहायक निदेशक (बेसिक शिक्षा) को दायित्व सौंपा गया है। जनपद स्तर पर योजना के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। विकास खण्ड स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गई है, जिसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

चर्चा करें- निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्यों?

विशिष्ट उपलब्धियाँ

- भोजन की पारदर्शिता बनी रहे इसलिए विद्यालयों की दिवारों पर 6'x8' की जगह में पेन्ट कराकर उस पर प्रति दिन के मेनू को अंकित कर दिया जाता है।
- परिवर्तन लागत के मद में प्राप्त धनावंटन को ग्राम निधि के पृथक बैंक खाते में रखे जाने की व्यवस्था है जिससे व्यय का सही लेखा जोखा रखा जा सके।
- पूर्व में खाद्यान्न वितरण हेतु यह व्यवस्था प्रचलित थी कि जिस माह में भोजन दिया जाता था, उसी माह में खाद्यान्न विद्यालयों तक पहुँचता था। इस व्यवस्था में इस बात की प्रबल सम्भावना रहती थी कि माह के प्रारम्भ के दिनों में खाद्यान्न विद्यालय न पहुँचने के कारण भोजन पकाया जाना संभव नहीं था। इस समस्या को ध्यान में रखते हुये खाद्य विभाग, उ०प्र० के साथ समन्वय कर भोजन वितरण माह से पूर्ववर्ती माह में ही खाद्यान्न को विद्यालय तक पहुँचाए जाने की व्यवस्था लागू की गयी।
- योजना के अनुश्रवन हेतु प्रभावी व्यवस्था के निरूपण के लिए शासनादेश सं० 720/79-6-2007 दिनांक 15 जून 2007 द्वारा परिवर्तन लागत का दैनिक आय-व्यय लेखा विवरण प्रपत्र, दैनिक खाद्यान्न स्टॉक रजिस्टर प्रपत्र एवं ग्राम पंचायत स्तरीय मासिक सूचना प्रपत्र पर सूचना संकलन की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के स्तर से विद्यालय, ब्लॉक एवं जनपद स्तर पर मिड-डे-मील रजिस्टर की व्यवस्था की गयी है जिससे खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के व्यय का लेखा-जोखा सही रूप में रखा जा सके।
- मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन के आधार पर विद्यालयों के श्रेणीकरण की व्यवस्था की गयी है। श्रेणीकरण के विभिन्न मानक भोजन की गुणवत्ता, भौतिक संसाधन की उपलब्धता, स्वच्छता, पंजीयन के सापेक्ष उपस्थिति एवं अभिलेखों का रख रखाव आदि है।

मिड-डे-मील योजना की साप्ताहिक आहार तालिका (मेनू)

दिन	नवीन मेनू	व्यंजन के प्रकार	100 बच्चों हेतु वांछित सामग्री
सोमवार	रोटी, सब्जी जिसमें सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी/दलिया	100 ग्राम गेहूँ की रोटी एवं दाल की बड़ी (दाल की बड़ी में मौसमी सब्जियों का स्वाद के अनुसार मिश्रण) अथवा मौसमी सब्जी एवं सोयाबीन	आटा 10 किग्रा, सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी तथा सब्जी 6 किग्रा, तेल/घी 500 ग्राम
मंगलवार	चावल-सब्जी युक्त दाल अथवा चावल सांभर	100 ग्राम चावल एवं सब्जी (मौसमी) मिश्रित दाल, अरहर की दाल सांभर मसाला एवं मौसमी सब्जी	दाल 2.5 किग्रा, चावल 10 किग्रा सब्जी 3 किग्रा दाल 2.5 किग्रा चावल 10 किग्रा सब्जी 3 किग्रा
बुद्धवार	कढ़ी-चावल अथवा खीर	100 ग्राम चावल, बेसन मटठा/दही मिश्रित कढ़ी 100 ग्राम चावल, मानक के	चावल 10 किग्रा, 10 लीटर दूध से बनी दही, बेसन 2.5 किग्रा चावल 10 किग्रा, दूध 10 लीटर,

		अनुसार दूध, चीनी, मेवे का मिश्रण	चीनी 3 किग्रा
गुरुवार	रोटी सब्जी युक्त दाल/दलिया	100 ग्राम गेहूँ की रोटी एवं दाल (दाल में मौसमी सब्जियों का स्वादानुसार मिश्रण) अथवा मौसमी सब्जी एवं सोयाबीन	आटा 10 किग्रा, सब्जी मिश्रित दाल 6 किग्रा तेल/घी 500ग्राम
शुक्रवार	तहरी	100 ग्राम चावल एवं सब्जी (आलू, सोयाबीन एवं समय-समय पर उपलब्ध मौसमी सब्जियाँ)	चावल 10 किग्रा, सब्जी सोयाबीन की बड़ी युक्त 6 किग्रा
शनिवार	सब्जी-चावल सोयाबीन अथवा खीर	100 ग्राम चावल एवं सोयाबीन तथा मसाले एवं ताजी सब्जियाँ। 100 ग्राम चावल, मानकानुसार दूध, चीनी, मेवे का मिश्रण	चावल 10 किग्रा, सब्जी सोयाबीन 6 किग्रा चावल 10 किग्रा, दूध 10 लीटर एवं चीनी 3 किग्रा

अभ्यास प्रश्न

1. मध्याह्न भोजन योजना से आप क्या समझते हैं?
2. मध्याह्न भोजन योजना के क्या-क्या उद्देश्य हैं?
3. झाप आउट का क्या तात्पर्य है?
4. मध्याह्न भोजन योजना में रसोइया का चयन कैसे किया जाता है?
5. मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए किन-किन बिन्दुओं पर ध्यान देना चाहिए।
6. मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत विभिन्न दिवसों पर अलग-अलग मेनू क्यों रखा जाता है।
7. मध्याह्न भोजन योजना में क्या दोष है।

छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाएँ

शिक्षा व्यक्ति अथवा समाज की उन्नति की कुंजी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग भारतीय विद्यार्थियों की स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियों का वित्त पोषण करता है इससे विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि एवं विद्यालय के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। ये योजनाएँ राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से संचालित की जाती हैं।

शिक्षण बिन्दु

- छात्रवृत्ति का उद्देश्य
- विभिन्न वर्गों की आय सीमा
- छात्रवृत्ति का वितरण
- यूनीफार्म (गणवेश) वितरण
- निःशुल्क पाठ्यपुस्तक

छात्रवृत्ति वितरण द्वारा सरकार की इच्छा है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं की पढ़ाई में धन की समस्या उत्पन्न न हो। छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति सीधे छात्र/छात्राओं के राष्ट्रीयकृत बैंक (सी0बी0एस0 ब्रान्च) में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। 10 वर्ष तक की आयु वाले अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का बैंक खाता उनके अभिभावकों की संरक्षता (Under natural guardianship) में खोला जाता है। दस वर्ष से ऊपर आयु वाले छात्र/छात्राओं का खाता उनके स्वयं के नाम से खोला जाता है। छात्रवृत्ति का खाता बैंक में बचत शून्य ओपनिंग बैलेंस के आधार पर खोला जाता है।

चर्चा करें— छात्रवृत्ति वितरण क्यों ?

छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता एवं समयान्तर्गत वितरण सुनिश्चित करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जाती है—

छात्रवृत्ति की स्वीकृति निम्नवत् निर्धारित समिति द्वारा की जाती है

1. ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 1 से 10 तक के छात्र/छात्राओं का चयन तथा छात्रवृत्ति एवं वितरण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाती है।
 - (i) ग्राम प्रधान— अध्यक्ष
 - (ii) ग्राम पंचायत के सभी अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य तथा सामान्य वर्ग का एक सदस्य जो उम्र में वरिष्ठतम हो— सदस्य
 - (iii) सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाध्यापक— सदस्य एवं संयोजक
 - (v) सम्बन्धित विद्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य जाति का वरिष्ठतम अध्यापक— सदस्य

ग्राम पंचायत में स्थित समस्त विद्यालयों के लिए छात्रवृत्ति का निर्धारण करते हुये निर्धारित धन राशि सम्बन्धित ग्राम शिक्षा निधि के खाते में स्थानान्तरित की जाती है और धनराशि भेजने की सूचना ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक के माध्यम से ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायी जाती है। ग्राम शिक्षा निधि का खाता प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक एवं ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला जाता है।

2. शहरी क्षेत्रों में कक्षा-1 से 10 को छात्र/छात्राओं का चयन तथा छात्रवृत्ति स्वीकृति व वितरण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाती है-

- (i) विद्यालय के प्रधानाध्यापक- अध्यक्ष
- (ii) नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम से सम्बन्धित वार्ड कोषक के निर्वाचित सभासद-सदस्य
- (iii) सभासद का निकटतम प्रतिद्वन्द्वी- सदस्य
- (iv) विद्यालय प्रबन्ध समिति- (जहाँ हो) अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी सदस्यों के अतिरिक्त सामान्य जाति का एक सदस्य, जिसे समिति द्वारा नामित किया जाय- सदस्य
- (v) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा सामान्य जाति का एक-एक वरिष्ठतम अध्यापक - सदस्य
- (vi) निजी प्रबन्ध-तंत्र द्वारा संचालित विद्यालय में विद्यालय के प्रबन्धक अथवा प्रबन्धक द्वारा नामित प्रतिनिधि- सदस्य

छात्रवृत्ति दर एवं आय सीमा

वर्ग	कक्षा	दर प्रतिमाह	माह	आय सीमा	
				शहरी	ग्रामीण
अनुसूचित जाति/जनजाति	01 से 05	25	12	शून्य	शून्य
	06 से 08	40	12	शून्य	शून्य
सामान्य वर्ग	01 से 05	25	12	25546	19884
	06 से 08	40	12	25546	19884
अन्य पिछड़ा वर्ग	01 से 05	25	12	कोई आय सीमा नहीं	कोई आय सीमा नहीं
	06 से 08	40	12	कोई आय सीमा नहीं	कोई आय सीमा नहीं
अल्पसंख्यक	01 से 05	25	12	100000	100000
	06 से 08	40	12	100000	100000

अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए कोई आय प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं है।

नोट- शासनादेश संख्या -170/1-9-2014-11(2)/2011 दिनांक 11 फरवरी 2014 के द्वारा आय प्रमाण की वैधता 03 वर्ष मान्य रहेगी।

अन्य प्रोत्साहन योजनाएँ

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाएँ संचालित की गयी।

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण की व्यवस्था

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिवर्ष 1 से 8 तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं। कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत दी जाती है क्यों कि सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र सरकार का विषय है अतः सामान्य वर्ग के बालकों का जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अच्छादित नहीं हो पाते हैं उन्हें निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें राज्य सरकार के बजट से दिये जाने का प्रावधान है।

निःशुल्क यूनीफार्म वितरण की व्यवस्था

विद्यालय एक इकाई है। एक इकाई के रूप में उसमें एकता लाने के लिए विद्यालय का यूनीफार्म (गणवेश) विशेष महत्व रखता है। इसको ध्यान में रखते हुये बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालाकों को प्रति बालक 02 सेट निःशुल्क यूनीफार्म उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

विद्यार्थियों हेतु फर्नीचर

प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में शासन द्वारा फर्नीचर की भी व्यवस्था की जाती है। उपयुक्त फर्नीचर होने से बच्चों का मन अध्ययन में लगता है तथा इससे विद्यालय में छात्रों की संख्या में कमी नहीं आ पाती है और छात्र संख्या में वृद्धि होने लगती है। छात्रों के लिए इन साधनों के होने से शिक्षा के प्रति उनमें लगाव बढ़ता है।

कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में अपवंचित वर्ग की विद्यालय से बाहर की बालिकाओं एवं ड्राप आउट बालिकाओं की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना संचालित है।

अभ्यास प्रश्न

1. छात्रवृत्ति वितरण योजना पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए ?
2. प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए कौन-कौन सी प्रोत्साह योजनाएँ चलायी जा रही है।
3. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के उद्देश्यों का परिचय दीजिए ?

सन्दर्भ साहित्य

1. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ०प्र० द्वारा प्रकाशित— 2013
2. राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न शासनादेश
3. शिक्षा के नवीन प्रयास— श्रीमती अंजना तिवारी, श्रीमती राजकुमारी शर्मा
4. 'परिवर्तन' जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद, उ०प्र०,
5. शिक्षामित्र राज्य शिक्षा संस्थान, उ०प्र०, इलाहाबाद
6. सर्व शिक्षा अभियान (वार्षिक आख्या 2012—13) उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद उ०प्र०,
7. संयोजन राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान उ०प्र०, इलाहाबाद।
8. उदिश (जिला समन्वयकों के लिए प्रशिक्षण संदर्शिका
राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०, इलाहाबाद
9. भारत 2012—13
भारत 2014—15
10. अभिनव— राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०, इलाहाबाद
11. स्पन्दन तथा आधार शिला— राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०, इलाहाबाद।
12. महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन (सर्व शिक्षा अभियान) राज्य परियोजना कार्यालय विद्या भवन
निशानगंज, लखनऊ
13. भारतीय संविधान — डी०डी० बसु